TELE-LAW



Reaching the Unreached

वंचित लोगों तक पहुंच









Voices of the beneficiaries

FOREWORD



Providing every person with access to justice is the sine qua non of ensuring a fair and equitable society. It is very satisfying that today, Tele-Law has touched the lives of more than 9 lakh people across the country, by connecting them to Panel Lawyers for legal aid and advice, through the use of modern Information and Communication technology. This mainstreaming of legal aid underpins the precept of Sabka Saath, Sabka Vikaas and Sabka Nyaya, envisioned by the Hon'ble Prime Minister.

As we approach the 75th Anniversary of our nation's freedom and celebrate 'Azadi ka Amrit Mahotsava', we must endeavour that the fruits of our hard-earned freedom reach the unreached and we give a voice to the voiceless. The instrumentality of Tele-Law is an impressive step in that direction as it empowers the needy and disadvantaged to rightfully claim their legal entitlements.

Tele-Law now covers 28 States and 6 Union Territories, spanning 633 districts including 115 aspirational districts. With such an expansive geographical reach, I am confident that in the coming times, we can do even better to reach people in the remotest interiors. The ultimate aim is to ensure that every single person of this country, regardless of status or location, has access to quality legal aid, especially at the pre-litigation stage.

The stories set out in the 3rd Edition of the 'Tele-Law: Reaching the Unreached - Voices of Beneficiaries' booklet capture the ethos of a New Atma Nirbhar India, with the marginalized and vulnerable finding in Tele-Law a tool of legal empowerment.

TABLE OF CONTENTS

1	LIST OF ABBREVIATIONS.	.4
2	EMPOWERING WITH INFORMATION	.5
3	FAMILY MATTERS.	.20
4	RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES.	.31
5	FIGHTING INJUSTICE.	.44
6	RELIEF TO THE COVID DISTRESSED.	.56
7	OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES.	.65

LIST OF ABBREVIATIONS

CSC Common Service Centres

DLSA District Legal Services Authority

FIR Fist Information Report

IPC Indian Penal Code

MGNREGA Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act

PL Panel Lawyers

PLV Para Legal Volunteers

RBI Reserve Bank of India

SDM Sub-Divisional Magistrate

SHO Station House Officer

SSP Senior Superintendent of Police

UT Union territory

VLE Village Level Entrepreneur

EMPOWERING WITH INFORMATION





Mr. Naveen Kumar is a resident of Viji village in Karauli district of Rajasthan, who belongs to the Scheduled Caste community and being from the community he wanted to know about his rights and protections in law to help him lead a better life. Mr. Kumar learned about the Tele-Law scheme from VLE, Mr. Santhosh Kumar who helped him in gathering the required information by registering an appointment with the Panel Lawyer.

Ms. Shwetanjali Mishra was appointed as the Panel Lawyer in the case. She explained that The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is a legislation formed by the Parliament of India to protect the interest of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (SC and ST) categories and enable them to live in a society with dignity and without fear or violence. The Act is popularly known as the SC/ST Act, POA, the Prevention of Atrocities Act, or simply the Atrocities Act. Under this Act, if above category of citizen is humiliated then he/she may file a complaint. They will be getting moral support along with financial support and legal aid. The Act also defines the punishments for any atrocity committed by any person against a person SC or ST category. Thanks to Tele-Law, Mr. Kumar got awareness of his rights



Mr. Jafar, who is a resident of Dhamala village in Mewat district of Haryana wanted to help his friend who lost his legs in a road accident. Mr. Jafar's friend was hit by a car and he lost his legs in the accident. Mr. Jafar discovered the Tele-Law scheme from the VLE, Mr. Akhlaka and registered his case for consultation to find out the legal avenues available to his friend as he does not have any source of income.

Mr. Rohit was the Panel Lawyer appointed in the case. He explained to Mr. Jafar that as this was a motor vehicle accident, he can file a case in consultation with his friend for compensation before the Motor Accident Claim Tribunal (MACT) with the help of an advocate. MACT has been established in all districts to facilitate the victim or a victim's survivors to demand compensation against the vehicle's proprietor and/or driver or insurer under the Motor Vehicles Act, 1988. Mr. Jafar was thankful to Tele-Law for guiding him in the right direction so that he can help his friend get the compensation he deserves.



Mr. Chothmal Suman, who is a social activist, lives in Koyla village of Baran district in Rajasthan. He often noticed that children are working in small factories and establishments, which is harming them both physically and mentally. He came across the Tele-Law scheme through PLV, Mr. Nitesh Mehra and registered to seek information regarding Child Labour Laws so that he could use it in spreading awareness and address the issue in his village and nearby areas.

Ms. Surekha Verma was appointed as the Panel Lawyer in the case. She explained to Mr. Suman that child labour is an offense punishable under law. Article 24 of the Constitution prohibits child labour. The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 has been framed to protect the interests of a child and save them from fatal injuries and health problems. It was also advised that if Mr. Suman knows of any child being exploited, he can report the matter to either the Child Care Services/organization/Child Line India Foundation within the area or complain in the nearest police station. Mr. Suman gained the legal knowledge regarding Child Labour and vowed to put a stop to the abhorrent practice in his area.



Ms. Jyoti Sahu, resident of Kanker district in Chhattisgarh wanted to know about Sakhi Centres. Her case was registered under the Tele-Law scheme on the advice of VLE, Mr. Shubham Sahu.

Ms. Vidya Rani Kesharwani, the appointed Panel Lawyer, informed Ms. Sahu that Sakhi Centres or One Stop Centres (OSCs) aim to support women affected by violence, regardless of age, class, race, education status, marital status, race and culture, a woman experiencing physical, sexual, emotional, psychological and economic abuse are provided with assistance and prevention. The OSCs are integrated with 181 women's helplines. The objectives of this scheme are:

- 1. To provide integrated support and support to women affected by violence in private and public places under one roof
- 2. To facilitate immediate, emergency and non-emergency access to a range of services, including medical, legal, psychological and counselling support under one roof to fight violence of any kind against women.
- 3. Ms. Sahu was also told that the following types of assistance are provided to women in Sakhi centres (1) Medical,(2) Police, (3) counselling, (4) legal and (5) shelter (for 5 days) while a more permanent solution is found.

Ms. Sahu was content with the information provided and got the awareness she needed.



Mr.Manliankhupa, VLE and his family are permanent residents of Champhai in Mizoram. His father is quite old and wanted to prepare a will but was not aware to the procedure to make one. Mr. Manliankhupa registered the case on behalf of his father.

Mr. Vanlalhriatpuii was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Manliankhupa's father to partition the land amongst his heirs before his death. The land will be in his father's name before his death and after his death, the children can get their share of the property after probating the will. Mr. Manliankhupa helped his father in drawing up the will as per the procedure explained by the Panel Lawyer.



Ms. Kulsama is a school student living in Lalpora village in Baramulla district of Jammu and Kashmir. She wanted to apply for pre-matric scholarship for students belonging to Other Backward Classes (OBC) families but was unaware of the procedure. Ms. Kulsama discovered the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Altaf Ahmad Shah on her visit to CSC and registered her case for consultation.

Ms. Suhaila Ali, the appointed Panel Lawyer advised Ms. Kulsama to contact the Social Welfare Department and verify the eligibility criteria for the scholarship. The Panel Lawyer also helped in finding out the exact date for issuance of forms and the procedure thereof. She could also approach the administration of her school and ask them for further details. Ms. Kulsama acted as per the advice of the panel lawyer.



Mr. Vijay Singh is a resident of Belaganj village in Gaya district of Bihar. A person from his village started the illegal business of selling liquor and Mr. Singh believes that this is having a poor impact on the youngsters in his village. Mr. Singh tried to counsel that person but he threatened Mr. Singh instead. Mr. Singh tried to complain to the local police officials but he could not get any encouraging results. Mr. Singh came to know about the Tele-Law scheme from an awareness session conducted by VLE, Mr. Vikash Kumar Tiwari and PLV, Ms. Ranju Tiwari and decided to register his case to seek legal advice in the matter.

Mr. Abhishek Kumar was appointed as the Panel Lawyer. He assured Mr. Singh by telling him that his concerns are valid as sale and consumption of liquor is banned in the State of Bihar. He advised Mr. Singh to file a written complaint with the local police and if they refuse to take the matter into consideration, he can approach the Superintendent of Police and the District Magistrate regarding the matter. He also advised Mr. Singh to complain to the excise department and asked Mr. Singh to keep his morale up and not to worry as nothing will happen to him. Mr. Singh was thankful to Tele-Law for not only providing him with legal advice but also giving him moral support.



Mr. Md. Zaffar Ali resides in Kivari village of Bokaro district in Jharkhand. He was preparing for competitive exams but unfortunately he was implicated in a First Information Report (FIR). Unnecessarily, knowing very well that the charges levelled up against him were baseless, he was concerned that his selection process will not be affected due to this false case.

Mr. Ashish Kumar Verma was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Ali to get a declaration as well as 'character certificate' certifying that there is no pending criminal case(s) in any court of law. At the same time, Mr. Ali should try to get his name crossed out of the false FIR in the said case, so that no blemish exists which could become a challenge for him in getting his character certificate. Based on the advice, Mr. Ali decided to consult a good criminal advocate and get the matter sorted out as soon as possible.



Ms. Radhaben Rathod lives in Dahod, Gujarat. She learned about the Tele-Law scheme from the VLE, Mr. Panchal Chintankumar and registered to gather information on women's rights in India and means to exercise them.

Mr. Rushikkumar was appointed as the Panel Lawyer and he informed Mr. Rathod that there are several rights enjoyed by women in India like:

- 1. Women have the right to equal pay
- 2. Women have the right to dignity and decency
- 3. Women have the right against workplace harassment
- 4. Women have a right against domestic violence
- 5. Female sexual assault victims have the right to keep their identity anonymous
- 6. Women have the right to get free legal aid
- 7. Women have right not to be arrested at night

Radhaben was very happy to learn about these provisions. She was not only informed but a confident person who was aware of her rights, thanks to Tele-Law



Ms. Chinlanchingi is an entrepreneur based in Champjai, Mizoram. Her family is dependent on her for income. She sourced her goods/ materials from some businessmen in Myanmar across the border. However, the materials she used to import were often seized by customs. She had to deal with a lot of losses and problems due to this and registered her case under the Tele-Law scheme for seeking advice in the matter. VLE, Mr. K. Lalbiaktluanga, who had been spreading awareness about the scheme through Whatsapp registered her case.

Mr. Vanlalhriatpuii, the appointed Panel Lawyer, advised her to obtain a license allowing her to conduct inter-country trade between India and Myanmar. The Panel Lawyer told Ms. Chinlanchingi to follow all the legal rules and procedures and if she does so, her material will not be seized. Ms. Chinlanchingi understood the solution to her problem and promised to act accordingly.



Mr. Sahendra Kumar is a resident of Guneri village in Gaya district of Bihar. He heard about Lok Adalats from some people from his village and wanted to know in detail about the set-up. Being a PLV himself, he registered the case under the Tele-Law scheme to learn more. Mr. Sudhir Kumar was appointed as the Panel Lawyer. He informed Mr. Kumar that Lok Adalat is similar to the Court set-up, organised by any Sub-divisional Legal Services Committee/District Legal Services Authority/High Court Legal Services Committee/State Legal Services Authority for settlement of a dispute by bringing the parties to a dispute to a compromise.

The cases of civil and criminal nature which are permitted under law to be compromised and compounded are settled in Lok Adalat are:

- 1. Motor Vehicle Accident Compensation cases;
- 2. Land acquisition cases;
- 3. Cases pertaining to banks and other financial institutions;
- 4. Cases by and against Goverment and other Local bodies such a panchayat, Muncipality, Corposation, Electricity Board etc.
- 5. Matrimonial and maintenance cases;
- 6. Labour Dispute, Industrial Dispute and the cases under workmen Compensation Act;
- 7. Cases under Consumer Protection Act;
- 8. Criminal cases wherein the offences are lawfully compoundable; etc.

Mr. Kumar understood the concept of Lok Adalat thanks to Tele-Law.



Ms. Sungkai Konyak belongs to Mon, Nagaland. He bought a mobile phone from a shop but the phone started having technical problems within a month and hence, he took the phone back to the shop. The shopkeeper informed Ms. Konyak that the phone has some software problems which will take a week to be resolved. After a week, Ms. Konyak went back to the shop to collect his phone and the shopkeeper asked him to pay Rs. 3000 for the repair, despite the warranty period of one year. When Ms. Konyak informed about the warranty, the shopkeeper said that software issues are not covered under the warranty and he had to purchasethe software. The shopkeeper refused to return Ms. Konyak's phone without being paid the said amount of Rs. 3000. Aggrieved, Ms. Konyak registered her case for consultation under the Tele-Law scheme, which he had discovered from VLE, Mr. ShingyeangLemba.

Ms. Niksunglais the appointedPanel Lawyer for the State of Nagaland. She told Ms. Konyaknot to worry and explained about theConsumer Disputes Redressal Forum that resolves such consumer complaints. The Panel Lawyer further informed Ms. Konyak that she can easily avail redressal nowadays through online service. Ms. Konyak was informed as well as provided with the National Consumer Helpline. It was advised to register a complaint through it. Ms. Konyak was happy to find a redressal forum for her problem.



Mr. Ram Kumar is a resident of Mannadipet constituency of the Union of Territory of Puducherry. His father met with an accident and he filed a case in the court to claim the insurance amount. The Court gave an order in his father's favour and the insurance company was ordered to pay Rs. 1,15,000 to Mr. Kumar. However, over a month had passed since the order but the insurance company had still not complied with the court order. Unable to understand what step to take next, Mr. Kumar registered his case for consultation under the Tele-Law scheme on the suggestion of PLV, Ms. Abhirami to recover the amount due to his father.

Mr. Balakumar, the appointed Panel Lawyer informed Mr. Kumar that in the cases of Motor Claims Original Petition, the insurance company has to deposit the amount ordered by the court within a month from the court's judgment. If the insurance company fails to comply, an Execution Petition under Order 21 of the Code of Civil Procedure may be initiated against the insurance company. Once the claimed amount is deposited by the insurance company to the Court, the petitioner may claim the amount form the respected Court through a cheque application, and the Court would credit the same to the petitioner's account. Mr. Kumar was relieved after gathering this information as he now knew exactly what steps to take to claim his due from the insurance company.



Mr. Manoj Kumar Biswas is a VLE from the area of North & Middle Andaman of the Union Territory of Andaman and Nicobar. Tele-Law has become operational in his CSC only from June, 2021 onwards and he realized that he now has a source for getting any verified legal information. Mr. Biswas was provided training on Tele-Law services and that the kind of cases that are dealt with by the Panel Lawyers range from domestic violence and child labour cases to partition of property and right to information. He realized the positive impact that this programme can have on the masses and to help them, decided to register his case to seek information regarding the procedure of filing application under the Right to Information (RTI) Act, 2005 and who is covered under the ambit of the Act.

Mr. Vikash Kumar was appointed as the Panel Lawyer in the case and he informed Mr. Biswas that there are two methods to file an RTI application, i.e., online or offline. If he wants to file an application offline under Section 6 of the Act by writing it in English/Hindi or a regional language and the same has to be addressed to Central or State Public Information Officer (depending on whether the information was being sought from the Central or the State government) and Rs. 10/- would have to be paid as fee through cash, money order, bank draft or court fee stamp, if the applicant does not belong to the Below Poverty Line category. The Panel Lawyer explained that recently the application can also be filed online through the portal https://rtionline.gov.in/ by choosing the concerned department and making a payment of Rs. 10 online in the end as in the physical application, except for citizens belonging to the Below Poverty Line category. This online application method is easier and more convenient to use. Mr. Biswas felt empowered with the information and stated that he would put the same to good use.

FAMILY MATTERS





Mr. Vasava Dilipkumar Chhaganbhai is a resident of the Mota Sukamba village in Narmada district of Gujarat. His sister and brother-in-law had a turbulent marriage. Due to various problems in the marriage, the elders of the community decided to dissolve the marriage before a Samaj Panch. However, no legal steps were taken by either of the parties. A few months later, Mr. Chagganbhai's brother-in-law complained to the local police that his wife has been taken back to her maternal home by Mr. Chagganbhai and they have refused to send her back. Mr. Chagganbhai took his wife home and is refusing to send her back. Mr. Chagganbhai, being the VLE himself, decided to register the case under the Tele-Law scheme to seek legal advice.

Mr. Nirmal Kumar, the Panel Lawyer allotted in Mr. Chagganbhai's case informed him that a social dissolution of marriage is not legally recognized. Only divorce obtained by order of the court are legally valid. It was therefore advised that his sister should file for divorce in the Family Court. He was also advised to inform about the social dissolution of marriage before Samaj Panch in the local police station where his brother-in-law has filed the complaint. Tele-Law provided Mr. Chhaganbhai with clarity on how to proceed regarding his sister's marital dissolution as per the law. He stated that he would discuss the situation with his family and take necessary steps as advised.



Mr. Varinder Kumar lives in Wassel Mohan Ke village of Ferozepur district in Punjab. His wife solemnized a second marriage without divorcing him. Feeling betrayed by her actions and on the advice of VLE, Mr. Gagandeep decided to register his case under the Tele-Law scheme to enquire about his options.

Ms. Aksh Basra was appointed as Mr. Kumar's Panel Lawyer. She informed Mr. Kumar that his wife has committed the offence of bigamy under Section 494 of the Indian Penal Code. The offence is non cognizable, meaning that she cannot be arrested without a warrant. Hence, he must file a criminal complaint of bigamy under Section 494 of the Indian Penal Code in the Court of law for action to be taken against her and if bigamy is proved then a petition for divorce can be filed on this ground. He stated that he would act as per the advice of the Panel Lawyer.



Mr. Raj is a resident of Lakho Ke Behram village in Ferozpur district of Punjab. His daughter is married and at the time of marriage he gifted her a few things. However, due to some problems between his daughter and son-in-law, his daughter returned and is now staying with the beneficiary itself. His daughter asked her husband and in-laws to return the gifts given to her by her father. Distressed by not being able to secure his daughter's gifts and assisted by VLE, Gurpreet Singh, Mr. Raj registered his case for consultation under the Tele-Law scheme.

Ms. Aksh Basra was appointed as Mr. Raj's Panel Lawyer. She told him that that according to criminal law, depriving the bride of her valuables including gifts/jewelry or any other property that the bride has received before or during the solemnsation of marriage amounts to cruelty. This property is commonly called Stridhana is recognized by the Hindu Personal Law and is the bride's separate property, which she has the sole right over. It cannot be morally or legally be possessed by her husband or in-laws. Mr. Raj wanted an out of court settlement first and if that failed, only then he wants to take recourse of the court as a last resort. Ms. Basra advised him to tender a list of valuables when approaching the matter for mediation before the Panchayat. The Panchayat mediated and called both the parties and after hearing both the sides, Mr. Raj's daughter got her Stridhana back.



Ms. Mini resides in Muttil village of Wayanad district in Kerala. Her marriage was solemnized in 2008 and two children were born out of the wedlock- a 12-year old son and a 9-year old daughter. Ms. Mini's husband deserted her 9 years ago and various attempts made to reunite the couple were in vain. Ms. Mini and her husband decided to file a joint petition for divorce in the Family Court and the case was posted after a period of 6 months for counseling and for adducing evidence. In the meantime, her husband eloped with a minor girl and a criminal case for the same is pending. He was given bail by the court in the case and investigation is still ongoing. However, he failed to appear for counseling and to the Court for adducing evidence on the joint petition and hence, the purpose of the joint petition did not materialize. Ms. Mini came to know about the Telelaw scheme from PLV, Ms. Lilly Thomas and registered her case to enquire about how to proceed with divorce in such a situation as she wants a divorce as soon as possible.

Mr. Chithralal, the appointed Panel Lawyer, advised Ms. Mini to file a fresh petition before the Family Court seeking divorce on the grounds of desertion and adultery, under Section 13(1) of Hindu Marriage Act, 1955. The Court will summon the husband and as per procedure law and after adducing evidence the court will pass a decree of divorce. Ms. Mini acting on the advice of the Panel Lawyer filed a petition for divorce.



Mr. Jay Prakash Gupta is a resident of Chhata Baradhi village in Kaimur district of Bihar. His uncle's daughter-in-law died of burns after pouring kerosene on herself and lighting herself on fire. She was taken to various hospitals, including PCMH Patna by her husband and in-laws for her treatment, however she succumbed to her injuries. Upon the death of the daughter-in law, her father demanded a big amount from Mr. Gupta's uncle and his family. He further threatened to name them in the FIR filed if the amount was not paid. Mr. Gupta came to know about the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Brajesh Kumar and registered his family's case to gather information on steps that could be taken by him and his family in the matter.

Mr. Abhishek Kumar was the Panel Lawyer appointed for the case. He advised Mr. Gupta to get a copy of the FIR from either the local police station or the court in which the case has been filed and then contact either the Panel Lawyer or another criminal lawyer for subsequent steps as they would be able to provide help once they know who has been implicated in the FIR and the charges leveled against them. Mr. Gupta stated that he would follow the advice of the Panel Lawyer and first get a copy of the FIR.



Ms. Ambili KR resides in Purakkadi village of Wayanad district in Kerala. She had married 7 years ago and had conceived a child in the early days of marriage. Her husband deserted her soon after and they have been living separately for the past 6 years.Ms. Ambili had filed for maintenance for her son and herself and the court ordered her husband to pay Rs. 3000/- each to Ms. Ambili and her son. Her husband complied for one year but he has not paid the maintenance to either her or her son last 12 months. She came to know about Tele-Law from a friend of hers who works with the CSCin the village and her friend also helped her register her case for advice of the Panel Lawyer.

Mr. Chithralal, the appointed Panel Lawyer, advised her that if her husband has failed to obey the order of the Hon'ble Family Court, the remedy available to her is to file Criminal Miscellaneous Petition (CMP) before the same court that had passed the order of maintenance. The said CMP is filed for the execution of the order of maintenance of the court as per S. 125 (3) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the same can only be executed through the same court which passed the order for maintenance.

Ms. Ambili got the information she required to which helped her in getting the due for her son and her own rights.



Mr. Biswajit Debnath resides in Nandan Nagar village of West Tripura district of Tripura. His sister was married to a BSF Jawan five years back. Two years after the marriage, Mr. Debnath's sister discovered that her husband was in relationship with another girl since his school days. They could not get married to each other due to some reasons, but after the death of the woman's husband, they rekindled their relationship. Mr. Debnath's sister was mentally and physically harassed by his brother-in law constantly since then and hence, his sister does not want to continue any relationship with her husband. Mr. Debnath knew about the various services offered by CSC, including the Tele-Law scheme and hence, got this case registered.

Mr. Kushal Deb was appointed as the Panel Lawyer and he advised Mr. Debnath to lodge a complaint under the Domestic Violence Act, 2005 and lodge FIR against his brother-in-law under Section 498A of the Indian Penal Code. He also advised Mr. Debnath to file a petition under Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973 for maintenance along with interim maintenance. Mr. Debnath told the Panel Lawyer that his sister had some pictures and videos of her husband with the woman he is having an affair with. The Panel Lawyer told him to file for a certificate under Section 65B of the Indian Evidence Act, 1872so that the pictures and videos are admissible in court. Based on panel lawyer's advice, Mr. Debnath decided to act to get justice for his sister.



Ms. Manika Das lives in West Kanchan Bari village of Unakoti Tripura district of Tripura. She married her husband after his divorce from his first wife and they have a son together. Her husband has a daughter from his previous marriage and the daughter wanted to become a part of Ms. Das and her husband's family, however, Ms. Das was not in favour of the same. Ms. Das is the neighbour of VLE, Rajib Das and came to know about the Tele-Law scheme through him. She got her case registered to seek information from a Panel Lawyer about her situation.

Mr. Himanghu Das was appointed as the Panel Lawyer for the case. He informed Ms. Das that her husband's daughter from his previous marriage is entitled to maintenance from her father even after the divorce. He also advised her to settle the matter amicably and if her husband's daughter wants to stay with them, Ms. Das should try to accept her and treat her like her own daughter so that she can adjust with their family and have a good life. Ms. Das was convinced with the Panel Lawyer's advice and after speaking to her husband, she welcomed his daughter to their family.



Mr. Ranjeet Kumar Saw resides in Kuju West village of Ramgarh district in Jharkhand. He believes that his sister's husband and in-laws tortured and killed her for dowry in August, 2020. He wants justice for his sister's death and after finding out about the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Vikash Kumar, registered his case to seek advice regarding the provisions of the law they could be charged under.

Ms. Rashmi Khatri, the appointed Panel Lawyer, informed Mr. Saw that his brother-in-law and his family have committed a grievous crime under Sections 304B (Dowry death), 302 (Punishment for murder), 498A (Husband or relative of husband of a women subjecting her to cruelty) of the Indian Penal Code. She advised him to consult with a criminal lawyer and file the case in the appropriate forum against them under the above-said provisions. Thanks to Tele-Law, Mr. Saw got the courage and clarity on the means to get justice for his sister.



Nandha Krishnan is a minor residing in Munderi village of Wayanad district in Kerala. His paternal grandmother registered the case under the Tele-Law scheme as the beneficiary through VLE, Ms. Rejeena. Nandha Krishnan's father passed away in July, 2020 and 2 months after his father's death, his mother took him to live with her parents. His mother remarried 2 months later and left him in the custody of her parents. Nandha Krishnan's paternal grandmother forcefully took him from the custody of his maternal grandparents to stay with her and meanwhile, Nandha Krishnan's mother filed a complaint at the police station for getting custody of the child. Mr. Krishnan's paternal grandmother. She wants to know what steps she can take to secure custody of Nandha Krishnan.

Mr. Chithralal was appointed as the Panel Lawyer in the case and he advised Nandha Krishnan's paternal grandmother to file a petition before the Family Court concerned within the jurisdiction where the ward resides, as per explanation (g) in Section 7(1) of Family Courts Act. He further explained that if the mother left the child with his maternal grandparents, and if a dispute arises about his custody, it is to be decided by the court after considering the facts of the case and the principle of "best interest of the child". This requires courts to focus on the child's welfare and wellbeing. The law requires courts to give custody to the person who can meet the child's needs best.

RESOLUTION OF PROPERTY DISPUTES





Ms. Bokali is a resident of Atoizu village in Zunheboto district of Nagaland. She faced regular torment due to continuous encroachment on her property by her neighbour, which often resulted in significant conflict. Ms. Bokali registered her case under the Tele-Law scheme, which she learned about from a VLE, Mr. Vitopu Kiba.

Mr. Niksungla was the appointed as the Panel Lawyer for the case. Owing to the special status of Nagaland under the Constitution, land in rural areas was governed by local or customary laws rather than by State law. Accordingly, Mr. Niksungla asked about the location of Ms. Bokali's land. When informed that the land in dispute was situated in a village/rural area, Mr. Niksungla's opinion was that she could not approach the Land Revenue Officer, since State Government officials would not intervene in matters pertaining to rural land, unless the Village Council first issued an order/direction. Accordingly, Mr. Niksungla advised Ms. Bokali to first approach the Village Council and let the Council attempt to resolve her issue of encroachment, before taking further legal recourse. Ms. Bokali was satisfied with the resolution plan given to her and agreed to follow the advice of the Panel Lawyer.



Mr. Mounesh is a resident of Hirekotnekal village in the Raichur district of Karnataka. He and his brothers were in joint possession of ancestral property that had been purchased by Mr. Mounesh's grandfather and thereafter inherited by Mr. Mounesh's father. The khata of the property was in the name of their father and remained in his name, even after his death. Although Mr. Mounesh wanted his rightful share of the property, his brothers refused to partition it and give Mr. Mounesh his rightful share. Being a VLE himself, Mr. Mounesh decided to register his case under the Tele-Law scheme to receive legal advice.

Mr. Purushothama A was appointed as his Panel Lawyer. Mr. Purushothama A advised him to secure the title deed of the property, as also the khata, in order to clarify his ancestors' title over the property. In addition, he was also advised to procure the requisite survey documents. Mr. Mounesh was also advised to prepare a family tree to simplify the partition process and thereafter visit an advocate with all the abovementioned documents. With the help of the said documents, the advocate would then file a partition suit on behalf of Mr. Mounesh so that he could obtain his rightful share in his ancestral property. Once the relevant documents were produced and proved before the concerned Court, the partition suit could be successful. Based on this advice, Mr. Mounesh got clarity of actions required to be taken to get his rightful share of his ancestral property.



Mr. Bala is a resident of Virudhunagar district in Tamil Nadu. His father had six siblings, three of whom were women. All three of his paternal aunts were married and settled in their own families. As their ancestral property was yet to be divided amongst the legal heirs, Mr. Bala was curious about the property rights of his paternal aunts over their ancestral property, and the effect of their marriage on such rights, if at all. Mr. Bala learned about the Tele-Law scheme through PLV, Ms. Jessi, and decided to seek legal consultation.

Mr. Balakumar, the appointed lawyer in the case explained to Mr. Bala that by law, a woman had an equal share in ancestral/family property as the male heir. This position did not change even after her marriage. Hence, a woman was entitled to obtain her share of the ancestral/family property, even after she was married. If a suit was filed for partition of the ancestral property, then as per law, the said property would be partitioned equally amongst the legal heirs. Thanks to Tele-Law, the Mr. Bala became aware about the property rights of women.



Ms. Sunita Barik is a resident of Dhenkanal Sadar village in the district of Dhenkanal in Odisha. She started construction of a house on land that she believed she owned. However, her brother-in-law attempted to intimidate her with thugs and stopped construction work as he claimed that the land on which she was building the house, belonged to him. Her brother-inlaw also filed a case against her under Sections 144 (Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger) and 145 (Procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace) of the Criminal Procedure Code, 1973. Hence, she was unable to continue construction on the land. Ms. Barik found out about the Tele-Law scheme through the VLE, Mr. Suresh Chandra Pradhan and decided to seek legal advice by registering her case. Mr. Amit Kumar was appointed as her Panel Lawyer. He explained to her that if a case had been filed against her in the Court, she should first appear before the said Court on the fixed date and present all the necessary documents like sale deed, land patta/records of rights, proving her ownership over the land. He also advised Ms. Barik to file a demarcation case before her local Tehsil office. He reassured her that the Court would reach an informed decision based on the documentary evidence and that Ms. Barik should not lose hope. Ms. Barik followed the advice of the Panel Lawyer and produced the relevant documents in Court. The decision of the court is awaited.



Ms. Meenarani lives in Virudhunagar district of Tamil Nadu. Her paternal uncle (father's brother) was in possession of the family's ancestral property. After her father's death, and as per his will, she was entitled to her father's share in the ancestral property. Her uncle was to hand over to her father's share in the property, but he refused to do so and instead, took over the entire property. Unaware about the scope and extent of, or even her rights over, her father's share in the ancestral property, and feeling helpless about legal recourse to be taken to get back her rightful inheritance, Ms. Meenarani was assisted by a PLV, Ms. Jessi, to seek legal consultation about her situation under Tele-Law.

Mr. Bala Kumar was appointed as the Panel Lawyer and advised her to contact a surveyor with all the details of the ancestral property. The surveyor would measure the land, and based on the measurements, the land could be partitioned accordingly. Ms. Meenarani would then get her father's share in the ancestral property. Mr. Bala Kumar also advised her to file a partition suit in the relevant Court, to get her father's share in the ancestral property. Ms. Meenarani was relieved to hear about a solution to her problem and was happy with the advice given to her.



Mr. Mohammed Iqbal Ahmed resides in Rangampet village of Yadgir district in Karnataka and is the Taluk headman. He often visits the local CSC and during one such visit, came to know about the Tele-Law scheme through the VLE, Mr. Maheboob Pasha. Being a public-spirited individual, Mr. Ahmed decided to help a villager whom he knew.

The villager in question had a query about succession. His father married twice, and had a son from the first wife and two sons and three daughters from the second wife. The villager himself was born to the second wife. His father and both wives passed away and now, the son from the first wife was demanding 50% share in the property for himself, claiming that all children from the second wife should divide the remaining 50% amongst themselves.

Mr. Purushothama A was appointed as the Panel Lawyer in the case. He informed Mr. Ahmed that as per the Muslim personal law (Shariat), there was no difference between self-acquired property and ancestral property. As per law, if both the wives were alive, then the property would be divided into 4 equal shares. One share would be divided amongst the two wives. Out of the remaining three shares, one share would be distributed equally amongst the three daughters. The remaining two shares would be distributed equally amongst the sons. This equal distribution of shares amongst the children was owing to the fact that the law did not make a distinction between which wife the child belonged to. If both wives had passed away, then the property would be divided into 3 equal shares and divided amongst the children, as was the case in this instance. Hence, out of 3 shares, 1 share in total would be distributed equally amongst the daughters and 2 shares would be distributed equally amongst the sons. Here, too, the shares would be divided equally amongst all the sons and daughters irrespective of which wife the child belonged to. If the first wife's son was not following the division of shares, as per law, then the villager would need to file a partition suit in the relevant Court, which would then partition the property as per law.



Ms. Sanjita Dehury is a resident of Teraguda village in Kandhamal district of Odisha. Her father has three brothers. She found out that certain property existed in her grandfather's name as per land records. Desirous of understanding how to partition and transfer the property in the name of her father and his brothers, Ms. Dehury decided to register her case for legal consultation on the Tele-Law platform, which she learned about from a VLE, Mr. Pradeep Kumar Pradhan.

Mr. Amit Kumar Barick was appointed as the Panel Lawyer. He advised Ms. Dehury to file a case for mutual partition at the local Tehsil office. In order to justify her case for partition, Ms. Dehury would need two critical documents: The death certificate of her grandfather, and thereafter, a certificate certifying her father as the legal heir of her grandfather. Both these documents could be obtained at the nearest CSC. Once Ms. Dehury obtained these documents, she could file a case for mutual partition, and on the basis of the documents obtained, the property would get equally divided amongst her father and uncles.



Ms. Suchitra Biswas resides in Haripur village of Nadia district in West Bengal. Ms. Biswas was residing on a khas land (a land in khas possession of the State Government of W.B.) since 1993, which she had purchased from a local committee which had possession over it. However, she was unable to register the property since such a property could not be registered through the A.D.S.R. (Additional District Sub- Registrar i.e. a local Land Registry office) as per law. She believed that her neighbour had illegally obtained a patta (possession of government-owned land for conducting agricultural activities) of the said land, and was now forcing her to vacate the land. Ms. Biswas learned about the Tele-Law scheme through the VLE, Mr. Bikash Halder and registered her case to seek a resolution to her problem.

Mr. Amitava Chakraborty, the appointed Panel Lawyer advised Ms. Biswas to visit the local Block Land and Land Revenue Office (BLLRO) and lodge a complaint against the said neighbour, while copying the complaint to the Block Development Officer/ Sub-Divisional Officer. If necessary, she could also file a suit against the said neighbour before the BLLRO or the Hon'ble Additional District Judge of the District Court, to cancel the patta Order given to her neighbour. In such suit, she would have to mention that she had lived on the land since 1993 and that legally, she could not be thrown out from the land since she had been in possession of the same for more than 12 years. Ms. Biswas was grateful for the advice given to her, and heeded the advice of the Panel Lawyer. The matter is currently sub-judice.



Mr. Subhnesh lives in Rajmau village of the Aligarh district in Uttar Pradesh. A false criminal case was filed against his father over a property related dispute. His father was arrested and the bail application was also dismissed by the Sessions Court. Feeling helpless and unable to get requisite information about taking legal recourse, Mr. Subhnesh found out about the Tele-Law scheme through the awareness programmes conducted by a VLE, Mr. Vishal Kumar Saini, and PLV, Ms. Poonam Sharma. Mr. Subhnesh decided to register his case on the Tele-Law platform, to seek legal advice in the matter.

Mr. Narayan Mukharjee was appointed as the Panel Lawyer in the case and he advised Mr. Subhnesh to appoint a criminal lawyer first to file a bail application before the Hon'ble Allahabad High Court. An interim bail application was moved before the High Court, which was granted due to the COVID-19 pandemic and to avoid overcrowding in prisons. Final bail was also subsequently granted by the Hon'ble Court and Mr. Subhnesh's father is now out on bail.



Mr. Ranjeet Kumar Saw resides in Kuju West village of Ramgarh district in Jharkhand. He believes that his sister's husband and in-laws tortured and killed her for dowry in August, 2020. He wants justice for his sister's death and after finding out about the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Vikash Kumar, registered his case to seek advice regarding the provisions of the law they could be charged under.

Ms. Rashmi Khatri, the appointed Panel Lawyer, informed Mr. Saw that his brother-in-law and his family have committed a grievous crime under Sections 304B (Dowry death), 302 (Punishment for murder), 498A (Husband or relative of husband of a women subjecting her to cruelty) of the Indian Penal Code. She advised him to consult with a criminal lawyer and file the case in the appropriate forum against them under the above-said provisions. Thanks to Tele-Law, Mr. Saw got the courage and clarity on the means to get justice for his sister.



Mr. Simplicio Pascoal Cassiano Fernandes is a resident of North Goa. He, along with his wife, who was the eldest of three daughters, lived on the first floor of a one-storey house belonging to his wife's mother, while his wife's youngest sister lived on the ground floor of the same house. After his wife's mother passed away, Mr. Fernandes and his wife learned about her registered will, in which the first floor of her house had been bequeathed to her eldest daughter (Mr. Fernandes' wife) and the ground floor had been bequeathed to her youngest daughter. The condition imposed along with this bequest was that each daughter would provide the third daughter with Rs. 2 lakh.

The only complication which arose in executing the will was that the entire property documents of the house, in which Mr. Fernandes and his wife were already staying along with the youngest sister, bore the name exclusively of his wife, for tax purposes. The youngest sister's name was not mentioned anywhere in the property documents. As per the will, the ground floor of the said house had now been bequeathed to his wife's youngest sister and the property card needed to reflect such change. Mr. Fernandes was eager to maintain peace in the family and to ensure that his wife received her bequest without complications. Since he was not a legal expert, he wanted to know the legal procedure to execute the will and to add the name of the youngest daughter to the property documents. He learned about the Tele-Law scheme from VLE, Mr. Pramod Ghanshyam Devidas and registered his case for legal consultation. Mr. Santhosh B. Patil was the appointed Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Fernandes to get the registered will executed (that is, make the will legally valid), by filing probate proceedings before the district court (a process

by which a will is officially proved). The possession of his wife's mother's house was already divided between his wife and her youngest sister, and Mr. Fernandes informed the lawyer that they had already given the middle sister her designated share of money, as set out in the will. The Panel Lawyer also advised him to attach the relevant Aadhaar card, PAN card and passport size photographs along with the original will. It was further explained that once the will was probated by the Court and executed, an application could be made to the concerned authority to add the youngest daughter's name in the property documents of the house. Mr. Fernandes was grateful to Tele-Law for helping him simplify a complicated legal process.

FIGHTING INJUSTICE



Mr. Gohil Rajubhai Devabhai is a resident of Dahod district in Gujarat. He, along with 50 other people, was promised a guaranteed job by an organisation called Maruti Nandan in return for payment for their services. Unable to recognise this offer, each person paid between Rs. 5500-6500 to Maruti Nandan. However, when no real job openings were offered and the organisation even declined to return the money, Mr. Devabhai, approached VLE, Mr. Mahendra Bhabhor for legal advice and support. Mr. Devabhai got his case registered and sought information on how to proceed in the matter.

Mr. Rushik Joshi, the appointed Panel Lawyer, explained to Mr. Devabhai that this is a clear case of cheating that was covered by Section 420 of the Indian Penal Code (popularly known as 'chaarso beesi'). Mr. Joshi advised Mr. Devabhai to collect relevant information about the organisation and any communication and telephone numbers through which the organisation had approached him or the other people. Based on this gathered information and after soliciting the support of the others who were similarly duped by the fake job scam, the Panel Lawyer urged Mr. Devabhai to lodge a First Information Report (FIR) at the nearest police station. Mr. Devabhai was thankful for the Panel Lawyer's advice received under Tele-Law and agreed to file a collective complaint with those people who were willing to support him.



Mr. Nesar Ahmed Siddique, a practising Muslim of the Tablighi Jammat sect, resides in the township of Bacheli of Dantewada district in Chhattisgarh. The township, constructed by National Mineral Development Corporation (NMDC), consists of around 20,000 people, of which 40-50 belong to the same Muslim community following Deoband Shariat whereas 300-400 people are Sunni Muslims who are followers of Hasrat Sharif. NMDC provided land for construction of a mosque to the Sunni Muslims and the Muslims of Tablighi Jammat sect were prohibited by the former from entering and offering prayers there. Mr. Nesar was also beaten and threatened when he tried to enter the mosque. Mr. Nesar wanted to take the matter to the Waqf Board, but having realised that the members of the board are largely Sunni Muslims themselves and hence, he decided to approach a civil court instead. The Court passed an order stating that any person from any community has the right to offer prayers in the mosque and cannot be stopped. However, in reality, the old practices continued despite the Court Order and even if the Sunni Muslims let Mr. Nesar and his community enter the mosque, they are treated like untouchables. Upset at being discriminated, Mr. Siddique registered his case under the Tele-law scheme with assistance from VLE, Mr. Ruma Nadeem, for legal advice and consultation.

Ms. Vidya Rani Kesharwani, the appointed Panel Lawyer in the case informed Mr. Siddique that as per Article 14 of the Constitution of India, all persons within the territory of India have equality before the law and equal protection of the law. A person cannot be discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, etc. The Constitution of India does not allow for preventing people from practising their religion, solely on the basis of their residential status (i.e. whether they originally belong to a place or have settled there). Mr. Siddique has complete right to enter

the local mosque and offer prayers there. She further went on to explain that Article 15 prohibits discrimination on grounds of religion, origin, race, caste, sex or place of birth by the State and Article 17 abolished untouchability. These are fundamental rights enshrined in the Constitution and any violation in punishable by law and hence, no person can be denied entry in any mosque or temple. She advised Mr. Nesar to file a First Information Report (FIR) if he is prevented from doing so by any person or harassed against any such person. Lastly, the Panel Lawyer explained that non-adherence of the Order of a Court is referred to as a contempt of court and is an offence. For this, Mr. Nesar may file a petition in the High Court and he should hire a good lawyer to represent him in the contempt proceedings. Mr. Nesar was thankful to Tele-Law for giving him such detailed advice and assured the Panel Lawyer that he would act on it.



Mr.Nitinbhai Rathod is a resident of Dahod in Rajasthan. He was lured by an advertisement on his mobile phone, through text message (SMS), offering a low interest rate and high amount hassle-free personal loan. Enticed by this advertisement, Mr. Rathod downloaded a mobile application (app) through the link given in the SMS. After using the app, Mr. Rathod was put in touch with a person who introduced himself as an agent of Bajaj Finance company. This person asked Mr. Rathod to send his credentials for the verification process of his loan application. Having gained his confidence, Mr. Rathod was induced to make payments, first of Rs. 3500 and thereafter, Rs. 4500, to facilitate the loan process. When the 'agent' made a third demand of Rs. 10,000, Mr. Rathod became suspicious since he was already feeling vulnerable and harassed by the continuous demand for money. He wanted legal advice on how to proceed with the matter. He discovered the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Panchal Chintankumar and registered his case. Mr. Nirmal Kumar, the appointed Panel Lawyer in the case, explained to Mr. Rathod that he has become a victim of an online fraud case of instant loan and money laundering. He, therefore advised Mr. Rathod to file a complaint with the cyber-cell of the nearest police station. He also cautioned Mr. Rathod to be careful in the future and restrain from downloanding unauthorised lending platforms and mobile apps and to verify the details of the service provider before using them in the future. Mr. Rathod understood the importance of cyber safety and was determined to act upon the advice of the Panel Lawyer.



Mr. Bidul Sarkar is a resident of Ramguna Para village in Unakoti Tripura district of Tripura. He was employed by HDFC ERGO Insurance Company and eventually quit after working there for several months. The company however failed to pay him his last month's salary and also denied him a clearance certificate, which he required for applying to another organization, despite him completing his notice period. Mr. Sarkar was denied his rightful remuneration on flimsy grounds on every occasion. The company's actions were thus causing him financial harm on two levels: First, denying him his rightful dues and second, preventing him from seeking gainful employment elsewhere by failing to issue his clearance certificate. He came across the Tele-Law scheme on his visit to CSC and registered his case for consultation, seeking advice on how to receive his just dues and receive a clearance certificate.

Mr. Kushal Deb was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Sarkar to file a claim before the Labour Commissioner, along with proof of his employment with the company, by submitting his pay slips, joining letter, acceptance letter, resignation letter and other relevant correspondence. This advice was based on the fact that, unfortunately, there was no specific mechanism provided by the Insurance Regulatory and Development Authority to tackle grievances of an employee of an insurance company. Mr. Deb also suggested that in case Mr. Sarkar's claim before the Labour Commissioner was not resolved within 3 months, Mr. Sarkar could file an appeal against the company in the District Court (being the Labour Court/Appellate Tribunal). Mr. Sarkar stated his intent to follow the Panel Lawyer's advice and followed up by immediately writing to the Labour Inspector. The Panel Lawyer is following up with the matter and taking periodic updates from Mr. Sarkar.



Ms. Durga Rani is the PLV from Nausar village of Udham Singh Nagar district in Uttarakhand. Some unknown people, came to her village and distributed LED bulbs and claimed that they were doing so under the Ujala scheme and in return obtained the villagers' Aadhaar Card Numbers and finger prints. A month later some villagers noticed that certain amounts had been deducted from their bank accounts and on further discussion they realised that this was problem was only occurring with the villagers who had gotten LED bulbs and given out their Aadhaar numbers with their fingerprints. Using their fingerprints, the fraudsters were able to fraudulently withdraw money from the villagers' bank accounts, as their accounts were linked to their Aadhaar card numbers. This created a distrust amongst villagers and the schemes being offered by VLE, Mr. Mahipal in his CSC as some of them required fingerprints for availing those services.

The PLV and VLE decided to register the case under Tele-Law scheme for consultation on what steps could be taken to recover the villagers' money and regain their confidence. Ms. Aditi Bhardwaj, the appointed Panel Lawyer in the case, advised Ms. Rani to try and gather all the people who had been duped and thereafter make a collective representation to the Bank of Baroda Bhagchuri branch from which money had been fraudulently withdrawn. Ms. Bhardwaj further asked her to ensure that all the aggrieved file a First Information Report (FIR) at the nearest police station with the details about the compromised bank accounts and the amounts which had been deducted from them. Upon following up with the case, the Panel Lawyer found out that the culprits had been apprehended by the police, and that the process of recovering the money was underway.



Mr. Hori Mohan Nath resides in Lakhiganj village of Dhuburi district in Assam. He used his motorbike for travelling. On one occasion, Mr. Nath parked his motorbike in the market and went to purchase vegetables, but upon his return, found that his bike was missing. Despite his best efforts, he could not trace it. Mr. Nath realised he had to claim the insurance amount on the stolen vehicle but was unaware of the procedure to initiate the process. Being a VLE himself, Mr. Nath registered his case for consultation under the Tele-Law scheme.

Mr. Dwipen Sarma was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Nath to file a First Information Report (FIR) about his stolen motorbike at the nearest police station. If the police personnel were unable to trace the vehicle or catch the thief, they would have to submit their Final Report before the relevant Court, recording the same. The Court would thereafter pass an order, recording the situation. The Panel Lawyer apprised Mr. Nath that he would have to submit the certified copies of the Final Report and the Court Order to the insurance company to make the claim and if the claim cannot be processed because it exceeds the time limit within which the claim has to be files, Mr. Nath can approach the ombudsman to make his case. Mr. Nath followed the advice of the Panel Lawyer and filed an FIR. The matter is currently being investigated by the police.



Ms. Rajni lives in Amaldiha village of Korba, Chhattisgarh and runs a small shop. She was shocked to receive an electricity bill from the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL) of Rs. 1,02,000/-, which was grossly inflated, considering the size and operations of her small tea and ice-cream shop. The CSPDCL also cut her electricity connection and told her to cough up Rs. 15,000/- immediately to get it restored. Ms. Rajni was even willing to pay the whole amount in instalments of Rs. 15,000/- to get the electricity restored and to avoid any further harassment. However, VLE, Mr. Saif Ali, suggested to her that she gets her caser registered for consultation under the Tele-Law programme as he believed that the Panel Lawyer will give her detailed advice on how to restore her connection without paying the hefty amount.

Ms. Surekha Verma was appointed as the Panel Lawyer. She firstly assured Ms. Rajni that her case would be resolved without her being caught in procedural hurdles. She advised Ms. Rajni to file a complaint with a senior official of CSPDCL, explaining the problem. If her problem was not resolved in this fashion, then Ms. Rajni could inform the District Legal Services Authority, Korba district, and request that her matter be referred to the Permanent Lok Adalat. Ms. Rajni also had the option of filing a complaint before the Consumer Forum. Ms. Rajni acted on the advice of the Panel Lawyer and filed a complaint with the Assistant Engineer of CSPDCL, Korba office. The Assistant Engineer took cognizance of the matter and as a result of which Ms. Rajni's excessive bill was waived off and her electricity connection was restored without making any extra payment. Ms. Rajni stated that the Tele-Law scheme is proving to be the voice of the voiceless and was very grateful to the Panel Lawyer for her detailed advice.



Mr. Naresh Kumar is a VLE, residing in Wahangal village of Chamba district in Himachal Pradesh. His friend was arrested under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS), 1985 for illegally procuring opium. The seized amount was a little over the small quantity, but was less than the commercial quantity. Mr. Kumar wanted to help him get bail, but was unaware of the procedure to be followed. Hence, Mr. Kumar registered the case under the Tele-Law scheme for legal advice.

Ms. Aditi Bhardwaj, the appointed Panel Lawyer, explained to Mr. Kumar that the offence which his friend had been accused of was non-bailable and cognizable in nature under the NDPS Act. Put simply, the Court of Sessions would only grant bail after satisfying itself that the accused was not prima facie guilty of the offence and that he would not commit a similar offence while out on bail. The Panel Lawyer also informed Mr. Kumar that grant of bail would depend on the quantity of contraband found in possession of the accused, if any and his friend should hire a good advocate for his case. With respect to the procedure of bail, the Panel Lawyer advised Mr. Kumar to file an application before the Court of Sessions. If bail was granted, then Mr. Kumar would have to furnish a bail bond and sureties, as described by the Court. She further explained that if the Court of Sessions rejected his brother's bail plea, then an appeal such rejection could be filed before the High Court of Himachal Pradesh. Mr. Kumar was thankful to Tele-Law for providing him with the required information to help his friend.



Mr. Jaikumar is a resident of Uchipuli village in Ramanathapuram district of Tamil Nadu. He had been running a textile shop for 28 years and in the process, had garnered a stellar reputation amongst his customers. One of his competitors started using the name of Mr. Jaikumar's shop as a suffix to the title of their own textile shop, and that too, in the same locality as Mr. Jaikumar's shop. As a result, customers started frequenting his competitor's shop believing it to be another branch of Mr. Jaikumar's shop. Mr. Jaikumar's business started suffering heavy financial losses due to his competitor's illegal and unethical behaviour. Mr. Jaikumar came to know about the Tele-Law scheme through a PLV, Mr. Karthikeyan R, and registered his case to seek legal advice on the action which could be taken against his competitor.

Mr. Vasanth Kumar was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Mr. Jaikumar to apply for a trade mark for his shop's name. Once the application was presented before the relevant authority (in this case, the Office of the Controller General of Patents, Designs & Trademarks), a legal notice could be sent to Mr. Jaikumar's competitor to stop using the name of his shop. The Panel Lawyer even went to the extent of searching for the name of Mr. Jaikumar's shop on the website of the Office of the Controller General of Patents, Designs & Trademarks and discovered that, fortunately, the name was not registered by anyone else. The Panel Lawyer subsequently helped Mr. Jaikumar file for a trademark registration online. Mr. Jaikumar was grateful to the Panel Lawyer and to Tele-Law for going above and beyond in helping him protect his business and his rights.



Ms. Sumi Saikia is a resident of Telluliang village in Lohit district of Arunachal Pradesh. She bought a mobile phone for Rs. 7000/-, however within 2 months, the handset malfunctioned and started displaying some connectivity issue. Unable to use her new phone, Ms. Saikia visited the shopkeeper who had sold her the phone to get the same repaired or replaced, as it was still within the warranty period, but the shopkeeper declined to register her complaint. Not knowing what to do, she sought help from PLV, Ms. Deepshika Das and registered her case under the Tele-Law scheme for consultation.

Mr. Wahengbam Niranjit Singh, the appointed Panel Lawyer advised Ms. Anita on behalf of Ms. Saikia, who is a timid lady and did not feel comfortable conversing with the Panel Lawyer. The Panel Lawyer suggested that Ms. Saikia again visit the shopkeeper and in case the shopkeeper does not pay heed to her, she should contact the company service center for fixing the mobile handset as the product is within the warranty. She would have to register her complaint with them and get an acknowledgement number, which would help her track her case. He further suggested and if the shopkeeper or the service center do not resolve the problem by getting the mobile phone serviced/repaired/replaced as the case may be, or give Ms. Saikia a satisfactory response, she may approach the Consumer Dispute Resolution Forum and file for damages against them. Ms. Anita stated that she would pass on the information to Ms. Saikia and ensure that she follows the advice given by the Panel Lawyer.

RELIEF TO THE COVID DISTRESSED





Mr. Taufik Mahebub Shaikh, a resident of Lohara village in Osmanabad district of Maharashtra supplied essentials to daily grocery stores across several areas. After the COVID-19 imposed lockdown in Maharashtra, he required an E-pass allowing him to travel intra-state to continue supplying essentials. Desperate to continue with his business, Mr. Shaikh, who had heard about the Tele-Law scheme from a friend working with the CSC in his village, registered his case on the platform to learn about the procedure to apply for an E-pass.

Mr. Santosh B. Patil, the appointed Panel Lawyer informed Mr. Shaikh that if he had internet access, then he could apply for the E-pass himself, through the website of the Maharashtra Police. For this, Mr. Shaikh would require identification proof, like an Aadhaar card, voter id or PAN card. He could also be required to provide other relevant documents depending on the circumstances, like a doctor's certificate (in case of a medical emergency) or a death certificate (in case he was traveling interstate or intra-State to conduct the final rites of a family member). The scanned version of the requisite documents would have to be uploaded on the said website portal. If Mr. Shaikh did not have internet access, he could then go to the nearest police station along with the requisite identification documents and other relevant documents, if any, and apply physically for an E-pass. The police officials would assist him in applying for the E-pass. Due to the detailed explanation provided by Mr. Patil, the Panel Lawyer, Mr. Shaikh was able to apply for his E-pass online and his request was approved by the authorities. Mr. Shaikh was able to continue with his business even during the COVID-19 lockdown and was grateful for Tele-Law's assistance.



Mr. Jenniter R Marakis, a VLE, resides at Chokpot Bazar village in South Garo Hills district of Meghalaya. Due to a sudden increase in the number of Covid-19 positive cases in the State of Meghalaya lockdowns of varying intensities were imposed across the state. Mr. Marak saw that, owing to the fear and ignorance surrounding COVID-19, people were ostracizing, discriminating against and stigmatizing Frontline Workers (FLWs) believing that the virus would spread due to them. As a socially aware and responsible citizen, Mr. Marak was moved by the plight of the FLWs, who were only trying to help their fellow citizens, but required expert advice on how to tackle the problem. Being a VLE, he was well aware about the benefits of Tele-Law, and thus, registered his case to seek consultation in this regard.

Mr. Khrawkupar Kongjoh was the appointed Panel Lawyer in the case. He had a detailed discussion with Mr. Marak and appreciated his concern in addressing the issue of stigmatization against FLWs during the Covid-19 pandemic. The Panel Lawyer urged Mr. Marak to use his position and platform as the VLE of the village to create awareness amongst the public in eradicating such stigmatization, by showing support for the FLWs. He further advised Mr. Marak to work together with the headman of his village to create awareness on how to fight against the virus, by strictly adhering to COVID-19 health protocols, as laid down by the State government.

Mr. Marak could also encourage the public to show support, solidarity and gratitude for FLWs who were risking their lives on a daily basis, in their line of duty. The Panel Lawyer, Mr. Khrawkupar Kongjoh, further informed Mr. Marak that in case, such stigmatization continued, then he could report such instances to the police or District Administration, to ensure that FLWs were protected

at all times. Following the advice given by the Panel Lawyer, Mr. Marak took the initiative to use his CSC as a medium to create awareness amongst his fellow citizens, including those residing in neighbouring villages, on how to deal with the Covid-19 pandemic and to support FLWs. Mr. Marak also declared his intent to take part in his village's Covid-19 Task Force, supervised by the headman of his village under the district administration.



Mr. Asikul Sekh is a hard-working and diligent student from Palsa village in Pakur village of Jharkhand. He was concerned about his studies and future being affected due to the state-wide lockdown imposed in light of the sudden rise in COVID-19 cases across the country, including Jharkhand. Mr. Sekh learned about the Tele-Law scheme through awareness campaigns conducted through telephone and video-conferencing by VLE, Mr. Mehedi Hasan, and registered his case for consultation to determine the way forward.

Mr. Lal Anjay Nath Shahdeo, the apppointed Panel Lawyer in the case, advised Mr. Sekh to continue his studies using online tools and websites, since physical classes would not be starting anytime in the near future. He suggested that Mr. Sekh use online resources, including websites and apps which had audio-visual instructions and real-time online interaction. The Panel Lawyer encouraged Mr. Sekh to keep a positive attitude and continue working hard towards his goals, despite the prevailing difficulties. Encouraged by the Panel Lawyer's advice, Mr. Sekh agreed to look into the suggested e-resources which would help him with his studies.



Ms. Manjura Begum resides in Ambari Part 3 village of Goalpara district in Assam. Worried about the COVID-19 virus and its potential effect on her loved ones, she wanted to gather information on how to protect herself and her family from contracting the virus and to register for vaccination. After learning about the Tele-Law scheme through a banner outside CSC in her village, she registered her case for consultation as she felt confident that she would receive verified and up-to-date information through Tele-Law.

Mr. Dwipen Sarma was appointed as the Panel Lawyer in the case. He advised Ms. Begum that the best way to protect herself and her family was to follow all the prescribed protocols, like staying at home, washing hands frequently, using masks and sanitizers and avoiding all public gatherings. The Panel Lawyer also explained to Ms. Begum the importance of getting tested in case she or anyone in her family developed any symptomsof the virus. Regarding the vaccination, the Panel Lawyer informed Ms. Begum that she could register herself through the CSC for the vaccination and that she ought to get vaccinated when her turn comes. Ms. Begum was thankful to Tele-Law for putting her mind at ease by providing accurate information.



Ms. Kajumoni Bora is a resident of Charigaon village in Jorhat district of Assam. She had an 18- month old child and was a lactating mother. Concerned about her own safety, as also the safety of her infant, Ms. Bora was interested in taking the COVID-19 vaccine. During her research, she came across a variety of information regarding the safety of vaccine for lactating mothers but owing to contradicting reports and sheer volume of information, was unsure about which sources to trust. She decided to register her case for consultation after seeing the Tele-Law banner outside her village CSC in order to gather accurate information about the safety of available vaccines.

Mr. Dwipen Sarma, the appointed Panel Lawyer, informed Ms. Bora that although the available vaccines had been created to be safe for all, even lactating mothers, she should nevertheless consult a doctor and get proper medical advice, in order to make an informed decision. The Panel Lawyer appreciated her endeavor to seek professional advice and to be skeptical of rumourmongering and false information floating across various platforms, especially with regard to her own safety and the safety of her child. Ms. Bora acted on the advice of the Panel Lawyer and consulted a doctor for a professional medical opinion on whether she should take the vaccine. After getting approval from her doctor, Ms. Bora went ahead and got vaccinated.



Mr. Gopi Sharma is a resident of Chakung village in the West District of Sikkim. He wanted to gather information for his own personal knowledge about whether getting vaccinated was mandatory for a person travelling to India from abroad. He heard about the Tele-Law programme through his relative Mr. Roshan Kumar Sharma who is also a VLE, and registered his case for gathering verified information.

The Panel lawyer, Mr. Dwipen Sarma, informed Mr. Gopi Sharma that the second wave of Covid-19 pandemic had been even more devastating and fatal than the first. Hence, the need of the hour was to follow all protocols and take all precautions to remain safe. Mr. Sarma thereafter informed Mr. Gopi Sharma that any person visiting India from abroad was required to stay under quarantine. Although the government had not mandated that people coming to India should be vaccinated first, it was certainly advisable for them to do so, for their own safety. Mr. Sharma appreciated the Panel Lawyer's candor and was satisfied with the information provided



Mr. Sachin Kumar Gupta is resident of Chatibariyatu village in Hazaribagh district of Jharkhand. He was soon to be married and needed to send out the requisite wedding invitations. Owing to COVID-19 induced restrictions, Mr. Gupta needed information about the maximum number of people allowed to attend a wedding ceremony, to ensure that he did not fall foul of the law. Being the VLE himself, Mr. Gupta registered his case for consultation under the Tele-Law scheme for verified information.

Mr. Ashish Kumar Verma was appointed as the Panel Lawyer in the case. He informed Mr. Gupta that the State government had recently issued a directive during the second wave of the COVID-19 pandemic allowing a maximum of 50 people to attend a marriage ceremony, with the condition that the marriage could only be conducted at home or at courts. Social distancing norms had to be mandatorily followed by attendants at any cost, to control the spread of the virus. Mr. Verma further informed Mr. Gupta that he would have to take permission from the district officials in advance, for participation of the 50 invitees at the marriage ceremony. Mr. Gupta assured the Panel Lawyer, Mr. Verma, that he would act on the advice given and that all COVID-19 protocols would be followed.

OVERCOMING PROCEDURAL HURDLES





Mr. Balram Kumar is a farmer residing in Janakpur village of Katihar district in Bihar. He had heard about the Kisan Credit Card (KCC) (a credit support scheme offered by banks, which aims to allow farmers to meet short-term credit requirements for cultivation of crops), and was curious about its provisions, as also how to apply for the scheme. He came to know about the Tele-Law scheme from VLE, Mr. Sanjay Kumar Kewat, and registered his case for consultation to get verified information.

Ms. Gudiya Nisha, the appointed Panel Lawyer, informed Mr. Kumar that KCC was an extremely beneficial scheme which allowed small and marginal farmers to take loans for agricultural purposes. She informed Mr. Kumar that he would need certain documents to apply for the loan including an identity proof like Aadhaar Card, Voter Id or PAN card, address proof, land ownership records, records of crop grown, passport size photographs, details of existing loans and repayment track records. She advised him to visit the Gramin bank in his area with all the abovementioned documents and a duly-filled application form and meet the Branch Manager to discuss the details. Once his documents were verified, and after various formalities were completed, a loan could be extended to him. Mr. Kumar was happy to learn more about KCC, and he stated his intent to apply for the scheme, in line with the advice of the Panel Lawyer.



Ms. Khushi is a student residing in Mahtosh village in Udham Singh Nagar district of Uttarakhand. The Uttarakhand Government had come out with the Gaura Devi Kanya Dhan Yojana, to provide financial aid to girl children from poor families and Ms. Khushi had applied for the same, almost two years ago. She desperately needed financial assistance to enroll in a Bachelors of Science graduation programme and was hoping for some kind of succor from the scheme. However, she did not receive any form of financial aid under the scheme. Disheartened by the situation, while being unsure of the status of her application, Ms. Khushi heard about Tele-Law through PLV, Ms. Jyoti Mandal. Ms. Khushi decided to register her case for consultation under the Tele-Law scheme to find out about what steps she could take to rectify her situation.

Mr. Vijay Kumar Pandey was appointed as the Panel Lawyer. He advised Ms. Khushi to meet the Child Development Project Officer of her district and ask the Officer about the status of her application. Ms. Khushi acted on his advice and approached the Child Development Project Officer of her district, who informed her that her application was pending due to the COVID pandemic and the resultant lockdown. After a follow-up by the Panel Lawyer, although Ms. Khushi had still not received the financial support due to her on account of the continuing pandemic, she was nevertheless relieved that she now atleast knew the status of her application.



Mr. Zahoor Ahmed is a resident of Archander Hama village in Baramulla district of Jammu and Kashmir. He had a bank account in the local branch of Jammu and Kashmir Bank, which was dormant since he had not used it in almost 3 years. His ATM card linked to this account had also become inactive, since it had not been used. Keen to reactivate his account and get access to his hard-earned money, Mr. Ahmed struggled with bank officials over the phone for weeks, but to no avail. He discovered the Tele-Law scheme through PLV, Mr. Gh. MohiUd Din Rahter and decided to register his case on the platform to find a solution to his problem.

Ms. Suhaila Ali was appointed as the Panel Lawyer in the case. She advised Mr. Ahmed to visit his bank in-person and speak to their officials. Additionally, she learned that Mr. Ahmed had already completed his Know Your Customer (KYC) procedure and linked his Aadhaar and mobile number with his bank account. Hence, the Panel Lawyer asked Mr. Ahmed to take his Aadhaar card, passbook, ATM card and other relevant bank documents with him, when he went to the bank, along with an application for activating his dormant account. Mr. Ahmed was relieved to hear of a possible solution to his problem and was grateful for the advice.



Mr. Nilambar Chouhan is a resident of Kormipali village in Mahasamund district in Chhattisgarh. Under the Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana, he was eligible for financial assistance to construct a house and had submitted an application to avail of the benefits of the scheme. Unfortunately for Mr. Chouhan, he had not received any update about the status of his application, despite a significant lapse of time. He heard about Tele-Law from VLE, Mr. Chakradhar Patel and decided to register his case on the platform, seeking information about the status of his application.

Mr. Maheshwari Tandan was appointed as the Panel Lawyer in the case. He informed Mr. Chouhan that he could check his application status by logging on to the official website of the Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana and entering his registered mobile number on the site. Mr. Tandan also answered all questions put to him by Mr. Chouhan about the scheme. The Panel Lawyer's advice helped Mr. Chouhan understand how to check his application status, as also the purpose of the scheme and the benefits that could be derived from it.



Ms. Sonoka Patra lives in Podadiha village of Purbi Singhbhum district of Jharkhand. Her husband was partially paralysed and hence, unable to work. She was facing dire financial problems and desperately needed to get a Disability Certificate issued for her husband so that they would be eligible for some kind of financial assistance. However, Ms. Patra was unaware about the process to be followed to get such a certificate. She found out about Tele-Law during one visit to CSC and with the assistance of VLE Ms. Mrinal Kanti Paul, registered her case on the platform to gather information on how to obtain the said certificate.

Ms. Rashmi Khtari was appointed as the Panel Lawyer and advised Ms. Patra to visit the government hospital at the district level and submit an application for a Disability Certificate with all the necessary documents and reports such as photographs, copy of I.D. proof with Disability, copy of address proof, reports confirming the disability, etc. The district hospital would also be able to provide specific details regarding the required documentation, if required. Ms. Patra could also apply for a Disability Certificate online by uploading certified copies of the abovementioned documents on the website of the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment (swavlambancard.gov.in). Ms. Patra was grateful to receive help regarding procuring the Disability Certificate and is in the process of applying for it online.



Mr. Parshotam Chand resides in Kuleth village of Chamba district in Himachal Pradesh. His mother, a widow, had applied for and was receiving pension for widowed women under the Himachal Pradesh state government scheme. Her pension suddenly stopped being credited into her account, without any warning or reason provided by the authorities. Mr. Chand wanted to ensure continued financial support for his mother, and needed to find a solution to the problem. He heard about Tele-Law through VLE, Mr. Ajay Kumar, and registered his case for advice on how to rectify the situation.

Ms. Aditi Bhardwaj, the appointed Panel Lawyer advised Mr. Chand to contact the Social and Welfare Department and inform them about his grievance. She also told him to write an application about his mother's problem to the Welfare Officer, asking for reasons for the sudden cessation of her pension. Mr. Chand was thankful to Tele-Law for giving him clarity about the way forward and for giving him a solution to ensure his mother's financial security.



Ms. Manpreet Kaur belongs to a family of farmers in Karma village of Ferozepur district in Punjab. Her family lost their crop and needed income support. They heard about income support and benefits under the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Scheme (PM-KISAN) and needed information about the same. Ms. Kaur heard about the Tele-Law scheme from a friend working with the CSC at her village and decided to register her case for consultation on how to help her family.

Ms. Aksh Basra was appointed as the Panel Lawyer for the case. She described to Ms. Kaur the process of applying for income support under the PM-KISAN scheme. Ms. Kaur would also need Government of India-issued documents such as Voter ID, Aadhaar Card, Pan Card etc., with her correct details, and a supporting document for verification purposes. She would also require proof of ownership of agricultural land. These documents would have to be submitted to the local Tehsil office to reap the benefits of the PM-KISAN Scheme. Thanks to Tele-Law, Ms. Kaur got the information she needed and submitted a duly filled form, along with supporting documents, as advised by the Panel Lawyer.



Mr. Bhuneshwar resides in Pali village of Korba district in Chhattisgarh. He wanted to withdraw money from his Employees' Provident Fund (EPF) account but did not know the procedure to do so. He became aware about the Tele-Law scheme through VLE, Mr. Durgesh Kumar and got his case registered to help him gather information in his endeavour.

Ms. Vidya Rani Kesharwani was appointed as the case Panel Lawyer. She gave a detailed explanation to Mr. Kumar about the process to be followed in his case. Ms. Kesharwani explained that withdrawal of money from EPF could be done through the Universal Account Number (UAN) Member e-Sewa Portal on the website of the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in). Ms. Kesharwani told Mr. Kumar that a member had to first activate the UAN through the EPFO website and then log in to the portal for withdrawal of money. The EPFO website could also be used for various other services, like transferring funds from an old Provident Fund (PF) account to a new one, completing KYC and updating contact details. In order to avail of such services, Mr. Kumar had to link his PF account with his Aadhaar card. Apart from this, he also needed to update his PAN number in the EPF data. When submitting details, a one-time password (OTP) would appear on his registered mobile number, as a security measure. After following this process, the money withdrawn from the PF would be credited to Mr. Kumar's bank account, as mentioned on the EPFO website, within 10 days. This detailed information about the procedure to be followed while withdrawing money from his EPF account clarified all the doubts in Mr. Kumar's mind and encouraged him to start the process.



Ms. Biona Wahlang is a permanent resident of Umsawnongkharai village, Ri Bhoi District, Meghalaya. She, as also her sister, Ms. Shimti, belonged to the Khasi Scheduled Tribe. Ms. Shimti fell in love with and chose to marry a man from outside her tribe, who was Nepalese. Doubts may often arise in the minds of such couples as to whether their children would be entitled to obtain Scheduled Tribe Certificates. After they were born, Ms. Shimti wanted to get Scheduled Tribes Certificates for her children, but owing to her husband's status as a non-Tribal, was apprehensive about whether she could obtain such Certificates. Ms. Shimti's sister, Ms. Wahlang, learned of Tele-Law scheme through VLE, Mr. Edmund Paul Kharir and decided to register her case to seek information to help her sister and her sister's children.

Ms. Cynthia Warjri was appointed the Panel Lawyer for the case. She informed Ms. Wahlang that children of a couple, where one parent was a Tribal and the other a non-Tribal, were still entitled to Scheduled Tribe Certificates, so long as the children followed, and were acquainted with, the customs of the Tribe in question. Ms. Wahlang was also informed that since she and her sister, Ms. Shimti, belonged to the Khasi Tribe, Ms. Shimti would have to first apply for and obtain a Khasi Tribe Certificate from the Khasi Hills Autonomous District Council, by submitting all relevant documents. Thereafter, her sister would be able to apply for Scheduled Tribe Certificates for her children, and that too could be done with the help of the local CSC. Ms. Biona was grateful to Tele-Law for giving relevant and detailed information about how to solve her sister's conundrum.



Ms. Aarti is a resident of Rajpura village in the Jhansi district of Bihar. She belonged to the Below Poverty Line (BPL) category and on account of her dire financial situation, was compelled to use fire wood, crop residue and cow dung cakes as cooking fuel for preparing food for her family. These methods of cooking, however, came with their own set of difficulties and challenges. Ms. Aarti dreamed of being able to cook with a stove and gas (LPG) cylinder for her family, but due to her situation, was unaware of any government schemes that could help realise her dream. When Ms. Aarti learned of the Tele-Law scheme from the VLE, Ms. Ramvati, she eagerly registered her case for consultation, to seek accurate information about relevant government schemes.

Ms. Swati, the Panel Lawyer advised Ms. Aarti to apply online for an LPG cylinder under the Prime Minister Ujjwala Yojana scheme, along with her BPL card and other required documents like Aadhaar card, passbook photocopy and her picture. Ms. Aarti could also do this at her nearest gas agency. She would need to fill basic details such as her name, contact details, Jan Dhan/Bank account number, Aadhaar card number, etc. Ms. Aarti was also reminded that since LPG connections under the Prime Minister Ujjwala Yojana were only given to female members of a family, no male member would be eligible to apply for the same. Ms. Aarti took the Panel Lawyer's advice to heart and personally applied for an LPG connection under the Prime Minister Ujjwala Yojana scheme. Her application is now under process.



Mr. Mahesh is a social activist living in the Kanekal village of Raichur district in Karnataka. The state of affairs in his village was pitiable, as it lacked essential amenities like potable water and primary healthcare services. Villagers faced multiple obstacles in living even a basic standard of life. Extremely disturbed by the situation on the ground, Mr. Mahesh wanted the government to release funds to set up such basic facilities in his village, but faced difficulties in this endeavour as well. His repeated pleas to the local leader did not yield any positive results. At his wits' end, Mr. Mahesh learned about Tele-Law scheme from a friend who had sought consultation under the scheme earlier. Motivated by his friend, Mr. Mahesh decided to register his case with the Tele-Law platform to seek information on the way forward.

Mr. Purushothama was appointed as the Panel Lawyer in the case. He informed Mr. Mahesh that it was the duty of the Gram Panchayat to provide basic facilities to the villagers of Kanekal. According to the Karnataka Gram Swaraj and Panchayat Raj Act, 1993, the Panchayat was obligated to fulfill all the needs of the villagers. Hence, Mr. Mahesh should submit an application to the Panchayat Development Officer (PDO) so that they could inquire into the situation and take necessary action on the requisite facilities. Mr. Mahesh appreciated the information provided to him, and intended to use such information to going forward.



Mr. Shamsudin is a student residing in a small village named Sanjak, which is approximately 87 kms away from Kargil in Lakadh. The village comprises of only around 400-450 people and being near the border, the villagers perpetually faced hindrance due to poor internet connectivity in the area. During the pandemic, the problem was exacerbated due to the increased demand of internet connectivity as students continue to require it for online classes and businesses need it for their day-to-day workings. The daily work of the villagers was getting hampered and being unsure of whom to approach regarding the problem, Mr. Shamsudin took it upon himself to find a solution by getting his case registered under the Tele-Law scheme with the assistance of VLE, Mr. Gulzar Hussain.

Ms. Suhaila Ali, the appointed Panel Lawyer sensitized Mr. Shamsudin that he along with the villagers approach their local service provider to identify the reasons for poor internet connectivity in the region, especially as the CSC had good connectivity. She advised them to state the problems they were facing on a daily basis to the concerned service provider in an application so that they understand the gravity of the situation and can resolve it. The Panel Lawyer also suggested that the a copy of the said application may also be submitted to the concerned Deputy Commissioner of the area (DC), as the area is under his administration so that he may direct the concerned company to look into the matter and take any other appropriate action to solve the grievance. Mr. Shamsudin was satisfied with the advice provided to him and stated that he would act in accordance.



न्याय विभाग टेली-लॉ सेवा (वंचितों तक पहुंचना) को सरल बनाने के लिए अपने सहयोगियों के समर्थन और सहायता का आभार व्यक्त करता है।



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण



CSC e-Governance Services India Limited

Disclaimer

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों के नाम बदल दिए गए हैं। प्रकाशित प्रशंसापत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा एकत्र और सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।

© 2021 Department of Justice. All Rights Reserved

TELE-LAW

टेली-लॉ

Reaching the Unreached

वंचित लोगों तक पहुंच









लाभार्थियों की बात

प्रस्तावना



प्रत्येक व्यक्ति को न्याय तक पहुँच प्रदान करना निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित करने की अनिवार्य शर्त है। यह बहुत संतोषजनक है कि आज टेली-लॉ ने आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से देश भर में 9 लाख से अधिक लोगों को उन्हें कानूनी सहायता और सलाह के लिए पैनल वकीलों से जोड़कर उनके जीवन को स्पर्श किया है। कानूनी सहायता मुख्य धारा में लाने का यह प्रयास सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है, जिसकी कल्पना माननीय प्रधान मंत्री द्वारा की गई है।

अब जब हम अपने देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के करीब पहुँच रहे और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी कड़ी मेहनत से प्राप्त स्व तंत्रता का फल वंचितों तक पहुँचे और हम बेआवाज लोगों को आवाज दें। टेली-लॉ की भूमिका इस दिशा में एक प्रभावशाली कदम है क्योंकि यह जरूरतमंदों और वंचितों को अपने कानूनी अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाती है।

टेली-लॉ अब 115 आकांक्षी जिलों सहित 633 जिलों में फैले 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। इतनी व्यापक भौगोलिक पहुँच के साथ, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हम दूर-दराज के आंतरिक क्षेत्रों के लोगों तक पहुँचने के लिए और भी बेहतर कर सकेंगे। अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की विशेष रूप से मुकदमेबाजी पूर्व चरण में गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता तक पहुँच हो, चाहे उनका दर्जा या स्थान कुछ भी हो।

टेली-लॉ: वंचित लोगों तक पहुँच-लाभार्थियों की बात पुस्तिका के तीसरे संस्करण में बताई गई कहानियाँ हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों द्वारा टेली-लॉ में कानूनी सशिककरण का साधन प्राप्त-करने के साथ आत्म निर्भर भारत का लोकाचार कैप्चर करती है।

विषय-सूची

संक्षिप्ताक्षरों की सूची	4
सूचना के साथ सशक्तिकरण	5
पारिवारिक मामले	20
संपत्ति विवादों का समाधान	31
अन्याय से लड़ना	44
कोविड से परेशान लोगों को राहत	56
प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना	65
	सूचना के साथ सशिक्तकरण

संक्षिप्ताक्षरों की सूची

सीएससी

डीएलएसए

एफआईआर

आईपीसी

एमजीएनआरईजीए

पीएल

पीएलवी

आरबीआई

एसडीएम

एसएचओ

एसएसपी

यूटी

वीएलई

जनसुविधा केंद्र

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

प्रथम सूचना रिपोर्ट

भारतीय दंड संहिता

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

पैनल वकील

पैरा विधिक स्वयंसेवक

भारतीय रिजर्व बैंक

उप-संभागीय मजिस्ट्रेट

स्टेशन हाउस अधिकारी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

केंद्र शासित प्रदेश

ग्राम स्तरीय उद्यमी

सूचना के साथ संशक्तिकरण





श्री नवीन कुमार राजस्थान के करौली जिले के विजी गाँव के निवासी हैं। वह अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं और इस समुदाय से होने के कारण वे अपने अधिकारों और कानूनी संरक्षणों के बारे में जानना चाहते थे ताकि वह बेहतर जीवन जी सकें। श्री कुमार को वीएलई, श्री संतोष कुमार से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलता है। संतोष कुमार उनकी पैनल वकील के साथ अपॉइंटमेंट पंजीकृत कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

सुश्री श्वेतांजिल मिश्रा को इस मामले में पैनल वकील नियुक्त किया जाता है। वह बताती हैं कि भारत की संसद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (एससी और एसटी) के हितों की रक्षा करने और उन्हें समाज में गिरमा के साथ और भय या हिंसा के बिना जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बनाया है। इस अधिनियम को लोकप्रिय रूप से एससी/एसटी एक्ट, पीओए, अत्याचार निवारण अधिनियम, या अत्याचार अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत, अगर उपरोक्त श्रेणी के नागरिक को अपमानित किया जाता है तो वह शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्हें आर्थिक सहायता और कानूनी सहायता के साथ–साथ नैतिक समर्थन भी मिलेगा। यह अधिनियम किसी भी व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ किए गए किसी भी अत्याचार के लिए दंडों को भी परिभाषित करता है। टेली–लॉ की बदौलत श्री कुमार को अपने अधिकारों के बारे में पता चला।



श्री जफर, हरियाणा के मेवात जिले के धमाला गाँव के रहने वाले श्री जफर सड़क दुर्घटना में अपना पैर गंवाने वाले अपने दोस्त की सहायता करना चाहते थे। जफर के दोस्त को कार ने टक्कर मार दी थी और इस दुर्घटना में उन्होंने अपने पैर खो दिए। जफ़र को वीएलई, श्री अख़लाक से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलता है और वह अपने दोस्त के लिए उपलब्ध कानूनी रास्ता पता लगाने के लिए परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करवा देते हैं क्योंकि उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है।

श्री रोहित इस मामले में नियुक्त पैनल वकील थे। वह जफर को बताते हैं चूँिक यह मोटर वाहन दुर्घटना थी, इसिलए वह अपने दोस्त के परामर्श से वकील की सहायता से मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष मुआवजे के लिए मामला दर्ज करा सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन मालिक और/या चालक या बीमाकर्ता के खिलाफ मुआवजे की माँग करने के लिए पीड़ित या पीड़ित के उत्तरजीवियों की सुविधा के लिए सभी जिलों में एमएसीटी की स्थापना की गई है। श्री जफर उनका सही दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए टेली-लॉ के आभारी हैं जिससे वह अपने दोस्त को वह मुआवजा दिलाने में सहायता कर सके जिसका वह हकदार था।



सामाजिक कार्यकर्ता श्री चोथमल सुमन राजस्थान के बरन जिले के कोयला गाँव में रहते हैं। वह अक्सर देखते थे कि बच्चे छोटे-मोटे कारखानों और प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से नुकसान पहुँच रहा है। उन्हें पीएलवी, श्री नितेश मेहरा के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने बाल श्रम कानूनों के बारे में जानकारी लेने के लिए पंजीकरण कराया ताकि वह जागरूकता फैलाने में इसका उपयोग कर सकें और अपने गाँव और आसपास के क्षेत्रों में इस मुद्दे का समाधान कर सकें।

इस प्रकरण में सुश्री सुरेखा वर्मा को पैनल वकील नियुक्त किया जाता है। उन्होंने श्री सुमन को बताया कि बाल श्रम कानून के तहत दंडनीय अपराध है। संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। बच्चों के हितों की रक्षा करने और उन्हें घातक चोटों और स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने के लिए बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 बनाया गया है। यह भी सलाह दी गई कि अगर श्री सुमन को पता चलता है कि किसी बच्चे का शोषण हो रहा है, तो वह क्षेत्र के भीतर इस मामले की शिकायत बाल देखभाल सेवाओं/संगठन/चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन से कर सकते हैं या नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। श्री सुमन को बाल श्रम के संबंध में कानूनी जानकारी मिली और उन्होंने अपने क्षेत्र में इस घृणित प्रथा को रोकने की कसम खाई।



छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में रहने वाली सुश्री ज्योति साहू सखी केंद्रों के बारे में जानना चाहती थीं। वीएलई, श्री शुभम साहू की सलाह पर टेली-लॉ योजना के तहत उनका मामला दर्ज कर लिया गया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री विद्या रानी केशरवानी ने सुश्री साहू को बताया कि सखी केंद्रों या वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) का उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता करना है, चाहे उनकी उम्र, वर्ग, प्रजाति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति और संस्कृति कुछ भी हो। शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही महिला को सहायता और रोकथाम प्रदान की जाती है। ओएससी को महिला हेल्पलाइन 181 के साथ एकीकृत किया गया है। इस योजना के उद्देश्य हैं:

- एक ही छत के नीचे एकीकृत सहायता और निजी और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- २. महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सिंहत सेवाओं की श्रृंखला तक तत्काल, आपातकालीन और गैर—आपातकालीन पहुँच की सुविधा प्रदान करना।
- ३. सुश्री साहू को यह भी बताया गया कि अधिक स्थायी समाधान तलाशते हुए सखी केंद्रों में महिलाओं को निम्नलिखित प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है-(1) चिकित्सा, (2) पुलिस, (3) परामर्श, (4) कानूनी और (5) आश्रय (5 दिनों के लिए))।

सुश्री साहू प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट थीं और उन्हें वह जागरूकता मिली जिसकी उन्हें ज़रूरत थी।



वीएलई श्री मनलियनखुपा और उनका परिवार मिजोरम में चम्फई के स्थायी निवासी हैं। उनके पिता काफी बूढ़े हैं और वसीयत करना चाहते थे, लेकिन वसीयत तैयार करने की प्रक्रिया से अवगत नहीं थे। श्री मनलियनखुपा ने अपने पिता की ओर से मामला दर्ज कराया।

इस मामले में श्री वनलाल्हरियतपुई को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री मनलियनखुपा के पिता को अपनी मृत्यु से पहले अपने उत्तराधिकारियों के बीच भूमि का विभाजन करने की सलाह दी। उनकी मृत्यु से पहले जमीन उनके नाम रहेगी और उनकी मृत्यु के बाद, बच्चे वसीयत की जाँच करने के बाद संपत्ति में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। श्री मनलियनखुपा ने पैनल वकील द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार वसीयत तैयार करने में अपने पिता की सहायता की।



सुश्री कुलसमा जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के लालपोरा गाँव में रहने वाली स्कूली छात्रा हैं। वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहती थी, लेकिन प्रक्रिया से अनजान थीं। कुलसमा को सीएससी पर जाने पर वीएलई श्री अल्ताफ अहमद शाह के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री सुहैला अली ने कुलसमा को समाज कल्याण विभाग से संपर्क करने और छात्रवृत्ति के लिए पात्रता मानदंड सत्यापित करने की सलाह दी। पैनल वकील ने फॉर्म जारी होने की सही तारीख और उसकी प्रक्रिया पता लगाने में भी उसकी सहायता की। वह अपने स्कूल के प्रशासन से भी संपर्क कर उनसे और जानकारी माँग सकती थीं। कुलसमा ने पैनल वकील की सलाह के अनुसार काम किया।



श्री विजय सिंह बिहार के गया जिले के बेलागंज गाँव के रहने वाले हैं. उनके गाँव के एक व्यक्ति ने शराब बेचने का अवैध धंधा शुरू किया और श्री सिंह का मानना था कि इसका उनके गाँव के युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है. श्री सिंह ने उस व्यक्ति को सलाह देने की कोशिश की लेकिन उसने इसके बजाय श्री सिंह को धमकी दी। श्री सिंह ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने की कोशिश की लेकिन उन्हें कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं मिला। श्री सिंह को वीएलई, श्री विकास कुमार तिवारी और पीएलवी, सुश्री रंजू तिवारी द्वारा आयोजित जागरूकता सन्न से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चला और इस मामले में कानूनी सलाह प्राप्त के लिए उन्होंने अपना मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया।

श्री अभिषेक कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री सिंह को यह कहकर आश्वस्त किया कि उनकी चिंताएँ जायज हैं क्योंकि बिहार राज्य में शराब की बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध है। उन्होंने श्री सिंह को स्थानीय पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी और उनके मामले पर विचार करने से इनकार करने पर वह इस मामले के संबंध में पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने श्री सिंह को आबकारी विभाग से भी शिकायत करने की सलाह दी और श्री सिंह को अपना मनोबल ऊँचा बनाए रखने और चिंता न करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें कुछ नहीं होगा। श्री सिंह न केवल कानूनी सलाह प्रदान करने बल्कि उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए भी टेली–लॉ के आभारी थे।



श्री मोहम्मद जफर अली झारखंड के बोकारो जिले के किवारी गाँव के रहने वाले हैं. वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में फंसा दिया गया। अनावश्यक रूप से, अच्छी तरह से यह जानते हुए भी कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे, उन्हें इस बात की चिंता थी कि इस झूठे मामले के कारण उनकी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इस मामले में श्री आशीष कुमार वर्मा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री अली को घोषणा पत्र के साथ-साथ 'चिरत्र प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की सलाह दी, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि किसी भी अदालत में उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। साथ ही श्री अली को उक्त मामले में झूठी प्राथमिकी से अपना नाम हटवाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि कोई ऐसा दोष न रह जाए जो उनके लिए अपना चिरत्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने में चुनौती बने। इस सलाह के आधार पर, श्री अली ने एक अच्छे आपराधिक वकील से परामर्श करने और इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का फैसला किया।



सुश्री राधाबेन राठौर गुजरात के दाहोद में रहती हैं। उन्हे वीएलई श्री पांचाल चिंतन कुमार से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलता है और भारत में महिलाओं के अधिकारों और उनका प्रयोग करने के साधनों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए वह अपना पंजीकरण कराती हैं।

श्री ऋषिक कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया जाता है और वह सुश्री राठौर को बताते हैं कि भारत में महिलाओं को प्राप्त कई अधिकार हैं जैसे:

- 1. महिलाओं को समान वेतन का अधिकार है।
- 2. महिलाओं को गरिमा और ज्ञालीनता का अधिकार है।
- 3. महिलाओं को कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार है।
- 4. महिलाओं को घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार है।
- 5. यौन उत्पीड़न पीड़ित महिलाओं को अपनी पहचान गुप्त रखने का अधिकार है।
- 6. महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है 7. महिलाओं को रात में गिरफ्तार न किए जाने का अधिकार है

इन प्रावधानों के बारे में जानकर राधाबेन बहुत खुश थीं। वह न केवल सूचित हैं बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक आत्मविश्वासी व्यक्ति भी हैं, जिसके लिए वह टेली-लॉ की आभारी हैं।



सुश्री चिनलांचिंगी मिजोरम के चंपजई में रहने वाली उद्यमी हैं। उनका परिवार आमदनी के लिए उन पर निर्भर है। वह सीमा पार म्यांमार के कुछ व्यापारियों से अपनी वस्तुएँ/सामग्रियाँ मंगवाती थीं। हालाँकि, वह जिन सामग्रियों का आयात करती थीं, अक्सर उन्हें सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इससे उन्हें काफी नुकसान और समस्याओं का सामना करना पड़ता था और वह इस मामले में सलाह लेने के लिए टेली–लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज कराती हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से इस योजना के बारे में जागरूकता फैला रहे वीएलई श्री के. लालबियकटुलंगा उनका मामला दर्ज कराते हैं।

नियुक्त पैनल वकील श्री वनलल्हरियतपुई उन्हें भारत और म्यांमार के बीच अंतर–देशीय व्यापार करने की अनुमित देने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की सलाह देते हैं। पैनल वकील सुश्री चिनलांचिंगी को सभी कानूनी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए कहते हैं और अगर वह ऐसा करती हैं, तो उनकी सामग्री जब्त नहीं की जाएगी। सुश्री चिनलांचिंगी अपनी समस्या का समाधान समझ जाती हैं और तद्नुसार कार्य करने का वादा करती हैं।



श्री सहेंद्र कुमार बिहार के गया जिले के गुनेरी गाँव के रहने वाले हैं। अपने गाँव के कुछ लोगों से लोक अदालतों के बारे में सुनकर वह इस व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। खुद पीएलवी होने के नाते, वह अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए टेली-लॉ योजना के तहत मामला दर्ज कराते हैं। श्री सुधीर कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया जाता है। वह श्री कुमार को बताते हैं कि लोक अदालत न्यायालय की व्यवस्था के समान है जिसका किसी भी उप-संभागीय विधिक सेवा समिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किसी विवाद के निपटारे के लिए विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए गठन किया जाता है।

लोक अदालत में सिविल और आपराधिक प्रकृति के वे मामले निपटाए जाते हैं जिनमें कानून के तहत समझौता और सुलह किया जा सकता है जो इस प्रकार हैं:

- 1. मोटर वाहन दुर्घट्ना क्षतिपूर्ति के मामले;
- 2. भूमि अधिग्रहण के मामले;
- 3. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले;
- 4. सरकार और अन्य स्थानीय निकायों जैसे पंचायत, नगर पालिका, निगम, बिजली बोर्ड आदि द्वारा और उनके खिलाफ मामले।
- 5. वैवाहिक और भरण-पोषण के मामले;
- 6. श्रम विवाद, औद्योगिक विवाद और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मामले;
- 7. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत मामले;
- 8. आपराधिक मामले जिनमें अपराध कानूनी रूप से सुलह योग्य हैं; आदि।

श्री कुमार को टेली-लॉ की बदौलत लोक अदालत की अवधारणा समझ में आ गई।



सुश्री सुंगकई कोन्यक नागालैंड के सोम की रहने वाली हैं। उन्होंने एक दुकान से मोबाइल फोन खरीदा लेकिन महीने भर के भीतर ही फोन में तकनीकी समस्या आने लगी और इसलिए, वह फोन वापस दुकान पर ले गईं। दुकानदार ने सुश्री कोन्यक को बताया कि फोन में कुछ सॉफ्टवेयर समस्याएँ हैं जिनका समाधान होने में एक सप्ताह का समय लगेगा। एक सप्ताह बाद, सुश्री कोन्यक अपना फोन लेने के लिए वापस दुकान पर जाती हैं और दुकानदार उनसे एक वर्ष की वारंटी अविध के बावजूद, मरम्मत के लिए 3000 रुपये देने के लिए कहता है। जब सुश्री कोन्यक ने वारंटी के बारे में बताया, तो दुकानदार ने कहा कि सॉफ़्टवेयर की यह समस्या वारंटी के अंतर्गत नहीं आती है और उन्हें सॉफ़्टवेयर खरीदना पड़ेगा। दुकानदार ने 3000 रुपये की उक्त गिंश का भुगतान किए बिना सुश्री कोन्यक का फोन वापस करने से मना कर दिया। व्यथित सुश्री कोन्यक ने टेली–लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराया, जिसके बारे में उन्हें वीएलई श्री शिंगयांग लेम्बा से पता चला था।

सुश्री निक्सुंगलइस नागालैंड राज्य के लिए नियुक्त पैनल वकील थीं। उन्होंने सुश्री कोन्यक से चिंता न करने के लिए कहा और उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम के बारे में बताया जो ऐसी उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करता है। पैनल के वकील ने सुश्री कोन्यक को आगे बताया कि वह आजकल ऑनलाइन सेवा के माध्यम से आसानी से निवारण का लाभ उठा सकती हैं। सुश्री कोन्यक को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के बारे में बताया जाता और साथ ही उपलब्ध भी कराया जाता है। उन्हें इसके जिए शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी जाती है। सुश्री कोन्यक अपनी समस्या के समाधान के लिए मंच पाकर खुश थीं।



प्रकरण - <u>13</u>

श्री राम कुमार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मन्नादीपेट निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं। उनके पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है और वह बीमा राशि का दावा करने के लिए न्यायालय में मामला दायर करते हैं। न्यायालय ने उनके पिता के पक्ष में आदेश दिया और बीमा कंपनी को श्री कुमार को 1,15,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। हालाँकि, आदेश होने के बाद एक महीने से अधिक समय बीत चुका था लेकिन बीमा कंपनी ने अभी तक न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया था। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या कदम उठाया जाए। श्री कुमार अपने पिता की बकाया राशि की वसूली के लिए पीएलवी सुश्री अभिरामी के सुझाव पर टेली-लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराते हैं।

नियुक्त पैनल वकील श्री बालकुमार ने श्री कुमार को बताया किया कि मोटर वाहन दुर्घटना बीमा के दावे के मूल याचिका के मामलों में, बीमा कंपनी को अदालत के निर्णय के एक महीने के भीतर अदालत द्वारा आदेशित राशि जमा करनी होती है। अगर बीमा कंपनी अनुपालन करने में विफल रहती है, तो बीमा कंपनी के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के तहत निष्पादन याचिका दायर की जा सकती है। बीमा कंपनी द्वारा न्यायालय में एक बार दावा की गई राशि जमा कर देने के बाद, याचिकाकर्ता चेक आवेदन के माध्यम से संबंधित न्यायालय से राशि का दावा कर सकता है, और न्यायालय इसे याचिकाकर्ता के खाते में जमा कर देगा। श्री कुमार ने यह जानकारी मिलने के बाद राहत महसूस की क्योंकि अब उन्हें पता था कि बीमा कंपनी से अपने बकाए का दावा करने के लिए क्या सटीक कदम उठाया जाना है।



श्री मनोज कुमार विश्वास केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार के उत्तर और मध्य अंडमान क्षेत्र के वीएलई हैं। जून, 2021 से ही उनके सीएससी पर टेली-लॉ चालू हो गया था और उन्होंने महसूस किया कि अब उनके पास कोई भी सत्यापित कानूनी जानकारी प्राप्त करने का स्रोत था। श्री बिस्वास को टेली-लॉ सेवाओं और पैनल वकीलों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जिसमें घरेलू हिंसा और बाल श्रम के मामलों से लेकर संपत्ति विभाजन और सूचना के अधिकार तक के मामले शामिल हैं। उन्होंने जनता पर इस कार्यक्रम का जो सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, वह महसूस कर उनकी सहायता करने के लिए, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया और इस अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में श्री विकास कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया जाता है। वह श्री बिस्वास को बताते हैं कि आरटीआई आवेदन दाखिल करने के दो तरीके हैं, यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन। अगर वह इस अधिनियम की धारा 6 के तहत अंग्रेजी/हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में लिखकर ऑफलाइन आवेदन दाखिल करना चाहते हैं तो केंद्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करना होगा (इस बात के आधार पर कि जानकारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से माँगी जा रही है) और शुल्क के रूप में नकद, मनीआर्डर, बैंक ड्राफ्ट या न्यायालय शुल्क स्टाम्प के माध्यम से रु.10/- का भुगतान करना होगा, अगर आवेदक गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित नहीं है। पैनल वकील ने बताया कि हाल ही में पोर्टल https://rtionline.gov.in/ के माध्यम से संबंधित विभाग को चुनकर और अंत में भौतिक आवेदन की तरह गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी से संबंधित नागरिकों को छोड़कर रु. 10 ऑनलाइन का भुगतान करके ऑनलाइन आवेदन दाखिल किया जा सकता है। यह ऑनलाइन आवेदन पद्धित उपयोग में आसान और अधिक सुविधाजनक है। श्री विश्वास ने इस जानकारी के साथ अपने आपको सशक्त महसूस किया और कहा कि वह इसका सदुपयोग करेंगे।

पारिवारिक मामले





<u> प्रकरण - 1</u>

श्री वासव दिलीपकुमार छगनभाई गुजरात के नर्मदा जिले के मोटा सुकंबा गाँव के रहने वाले हैं। उनकी बहन और बहनोई का विवाह कलहपूर्ण हो गया था। विवाह में विभिन्न समस्याओं के कारण, समुदाय के बुजुर्गों ने समाज पंच से समक्ष इस विवाह को भंग करने का निर्णय लिया। हालांकि, किसी भी पक्ष द्वारा कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया। कुछ महीने बाद, श्री छगनभाई के बहनोई ने स्थानीय पुलिस से शिकायत की कि श्री छगनभाई उनकी पत्नी को मायके लेकर चले गए हैं और वापस भेजने से इनकार कर दिया है। श्री छगनभाई उनकी पत्नी को घर ले जाकर वापस भेजने से इनकार कर रहे हैं। स्वयं वीएलई होने के नाते, श्री छगनभाई ने कानूनी सलाह लेने के लिए टेली–लॉ योजना के तहत मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया।

श्री छगनभाई के मामले में आवंटित पैनल वकील श्री निर्मल कुमार ने उन्हें बताया कि विवाह का सामाजिक विघटन कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। केवल न्यायालय के आदेश से प्राप्त तलाक ही कानूनी रूप से वैध है। इसलिए यह सलाह दी गई कि उनकी बहन को पारिवारिक अदालत में तलाक की अर्जी देनी चाहिए। उन्हें यह भी सलाह दी गई कि वह स्थानीय थाने में समाज पंच के समक्ष विवाह के सामाजिक विघटन की सूचना दें जहाँ उनके बहनोई ने शिकायत दर्ज कराई है। टेली-लॉ ने श्री छगनभाई को इस बारे में स्पष्टता प्रदान की कि कानून के अनुसार अपनी बहन के विवाह विच्छेद के संबंध में कैसे आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि वह अपने परिवार के साथ स्थित पर चर्चा कर सलाह के अनुसार आवश्यक कदम उठाएँ।



श्री विरंदर कुमार पंजाब में फिरोजपुर जिले के वासेल मोहन के गाँव में रहते हैं। उनकी पत्नी ने उन्हें तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। उसके कार्यों से छला हुआ महसूस कर और वीएलई श्री गगनदीप की सलाह पर श्री कुमार ने अपने विकल्पों के बारे में पूछताछ करने के लिए टेली-लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

सुश्री अक्ष बसरा को श्री कुमार का पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री कुमार को बताया कि उनकी पत्नी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत द्विविवाह का अपराध किया है। यह अपराध असंज्ञेय है, जिसका अर्थ यह है कि उसे वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, उन्हें उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत कानूनी अदालत में द्विविवाह की आपराधिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए और अगर द्विविवाह साबित हो जाता है तो इस आधार पर तलाक की याचिका दायर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह पैनल वकील की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।



श्री राज पंजाब के फिरोजपुर जिले के लाखों के बेहराम गाँव के रहने वाले हैं। उनकी बेटी की शादी हो चुकी है और उन्होंने शादी के वक्त उसे कुछ चीजें उपहार दी थीं। हालांकि, उनकी बेटी और दामाद के बीच कुछ समस्याओं के कारण, उनकी बेटी वापस लौट आई और अब स्वयं लाभार्थी के साथ ही रह रही है। उनकी बेटी ने अपने पित और ससुराल वालों से अपने पिता द्वारा दिए गए उपहारों को वापस करने के लिए कहा। अपनी बेटी के उपहारों को प्राप्त न कर पाने से व्यथित होकर और वीएलई गुरप्रीत सिंह की सहायता से व्यथित, श्री राज ने टेली-लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराया।

सुश्री अक्ष बसरा को श्री राज का पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री राज को बताया कि आपराधिक कानून के अनुसार, दुल्हन को शादी के पहले या के दौरान मिली उसकी कीमती वस्तुओं से वंचित करना जिसमें उपहार/गहने या कोई अन्य संपित शामिल है, क्रूरता के बराबर है। आमतौर पर स्त्रीधन कहलाने वाली यह संपित हिंदू पर्सनल लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त है और यह दुल्हन की अलग संपित है, जिस पर उसका एकमात्र अधिकार है। यह नैतिक या कानूनी रूप से उसके पित या ससुराल वालों द्वारा नहीं रखी जा सकती है। श्री राज पहले अदालत से बाहर समझौता चाहते थे और इसमें विफल रहने पर ही, वह अंतिम उपाय के रूप में अदालत का सहारा लेना चाहते हैं। सुश्री बसरा ने उन्हें पंचायत के समक्ष मध्यस्थता के लिए मामले रखने पर कीमती वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करने की सलाह दी। पंचायत ने मध्यस्थता की और दोनों पक्षों को बुलाया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद श्री राज की बेटी को अपना स्त्रीधन वापस मिल गया।



सुश्री मिनी केरल के वायनाड जिले के मुत्तिल गाँव में रहती हैं। उनकी शादी 2008 में हुई थी और इस शादी से दो बच्चे पैदा हुए थे–12 साल का बेटा और 9 साल की बेटी। सुश्री मिनी के पित ने उन्हें 9 साल पहले छोड़ दिया और दंपित को फिर से मिलाने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों का कोई फल नहीं निकला। सुश्री मिनी और उनके पित ने पिरवार न्यायलय में तलाक के लिए संयुक्त याचिका दायर करने का फैसला किया और 6 महीने की अविध के बाद मामला परामर्श और सबूत पेश करने के लिए दर्ज किया गया। इस बीच, उनका पित एक नाबालिग लड़की के साथ भाग गया और इसके लिए आपराधिक मामला लंबित है। इस मामले में न्यायालय ने उसे जमानत दे दी और जाँच अभी जारी है। हालांकि, वह परामर्श के लिए और संयुक्त याचिका पर सबूत पेश करने के लिए अदालत में उपस्थित नहीं हुआ और इसलिए, संयुक्त याचिका का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। सुश्री मिनी को पीएलवी सुश्री लिली थाँमस से टेली–लाँ योजना के बारे में पता चला और इस तरह की स्थिति में तलाक के लिए कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में पूछताछ करने के लिए उन्होने अपना मामला दर्ज कराया क्योंकि वह जल्द से जल्द तलाक चाहती थी।

नियुक्त पैनल वकील श्री चित्रलाल ने सुश्री मिनी को सलाह दी कि वे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) के तहत परित्याग और व्यभिचार के आधार पर तलाक की माँग करते हुए परिवार न्यायालय के समक्ष नई याचिका दायर करें। न्यायालय उनके पित को समन भेजेगा और प्रक्रिया कानून के अनुसार और सबूत पेश करने के बाद न्यायालय तलाक की डिक्री पारित करेगा। सुश्री मिनी ने पैनल वकील की सलाह के आधार पर काम करते हुए तलाक के लिए याचिका दायर कर दी।



श्री जय प्रकाश गुप्ता बिहार के कैमूर जिले के छटा बरधी गाँव के रहने वाले हैं। उनके चाचा की बहू खुद पर मिट्टी का तेल डालकर और खुद को आग लगाकर जलकर मर गई। उसे उसके पित और ससुग्रल वाले इलाज के लिए पीसीएमएच पटना सिहत विभिन्न अस्पतालों में ले गए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। बहू की मौत पर उसके पिता ने श्री गुप्ता के चाचा और उनके पिरवार से मोटी रकम की माँग की। उन्होंने आगे गिश का भुगतान नहीं करने पर दर्ज की गई प्राथमिकी में उनका नाम लेने की धमकी दी। श्री गुप्ता को वीएलई श्री ब्रजेश कुमार के माध्यम से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चला और इस मामले में उनके और उनके परिवार द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने परिवार का मामला दर्ज करा दिया।

इस मामले के लिए श्री अभिषेक कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री गुप्ता को सलाह दी कि वे या तो स्थानीय पुलिस थाने या न्यायालय से प्राथमिकी की प्रति प्राप्त करें जिसमें मामला दर्ज कराया गया है और फिर आगे के कदमों के लिए पैनल वकील या किसी अन्य आपराधिक वकील से संपर्क करें क्योंकि वे यह जानने के बाद ही सहायता प्रदान कर सकते हैं कि एफआईआर में किसे फंसाया गया है और उन पर लगाए गए आरोप क्या हैं। श्री गुप्ता ने कहा कि वह पैनल वकील की सलाह का पालन करेंगे और सबसे पहले एफआईआर की प्रति प्राप्त करेंगे।



सुश्री अंबिली के आर केरल के वायनाड जिले के पुरक्कडी गाँव में रहती हैं। उनकी 7 साल पहले शादी हुई थी और शादी के शुरुआती दिनों में वह गर्भवती हो गईं थी। उनके पित ने जल्द ही उन्हें छोड़ दिया और वे पिछले 6 वर्षों से अलग रह रही हैं। सुश्री अंबिली ने अपने बेटे और अपने भरण-पोषण के लिए न्यायालय में अर्जी दी और न्यायालय ने उनके पित को सुश्री अंबिली और उनके बेटे दोनों को 3000-3000/- रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया था। उनके पित ने एक साल तक न्यायालय के आदेश का पालन किया लेकिन उसने पिछले 12 महीनों से न तो उन्हें ही न ही उनके बेटे को भरण-पोषण का भुगतान किया था। उन्हें अपने एक दोस्त से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला जो गाँव में एक सीएससी में काम करता है और उनके दोस्त ने पैनल वकील की सलाह के लिए उनका मामला दर्ज कराने में भी उनकी सहायता की।

नियुक्त पैनल वकील श्री चित्रलाल ने उन्हें सलाह दी कि अगर उनका पित माननीय परिवार न्यायालय के आदेश का पालन करने में विफल रहा है, तो उनके लिए उपलब्ध उपाय उसी न्यायालय के समक्ष आपराधिक विविध याचिका (सीएमपी) दायर करना है जिसने भरण—पोषण का आदेश पारित किया था। उक्त सीएमपी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125(3) के अनुसार न्यायालय के भरण—पोषण के आदेश के निष्पादन के लिए दायर किया जाता है और यह केवल उसी न्यायालय के माध्यम से निष्पादित किया जा सकता है जिसने भरण—पोषण का आदेश पारित किया था।

सुश्री अंबिली को वह जानकारी मिल गई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी जिससे उन्हें अपने बेटे का हक और अपने खुद के अधिकारों को प्राप्त करने में सहायता मिली।



श्री विश्वजीत देवनाथ त्रिपुरा के पश्चिम त्रिपुरा जिले के नंदन नगर गाँव में रहते हैं। पाँच साल पहले उनकी बहन की शादी एक बीएसएफ के जवान से हुई थी। शादी के दो साल बाद, श्री देवनाथ की बहन को पता चला कि उनका पित स्कूल के दिनों से ही एक दूसरी लड़की के साथ संबंध रखे हुए था। किन्हीं कारणों से वे एक – दूसरे से शादी नहीं कर सके, लेकिन उस महिला के पित की मृत्यु के बाद, उन्होंने अपना रिश्ता फिर से जीवित कर दिया था। तब से श्री देवनाथ की बहन को उनके बहनोई द्वारा लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया था और इसलिए, उनकी बहन अपने पित के साथ कोई संबंध जारी नहीं रखना चाहती थी। श्री देवनाथ सीएससी द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के बारे में जानते थे, जिसमें टेली–लॉ योजना भी शामिल थी और इसलिए, उन्होंने यह मामला दर्ज करवाया।

श्री कुशल देब को पैनल वकील नियुक्त किया गया और उन्होंने श्री देबनाथ को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत दर्ज कराने और भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत अपने बहनोई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी। उन्होंने श्री देबनाथ को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण—पोषण के साथ भरण—पोषण के लिए याचिका दायर करने की भी सलाह दी। श्री देबनाथ ने पैनल वकील को बताया कि उसकी बहन के पास उसके पित की उस महिला के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो हैं, जिसके साथ उसका संबंध है। पैनल वकील ने उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी के तहत प्रमाण पत्र के लिए उन्हें दाखिल करने कहा ताकि तस्वीरें और वीडियो न्यायालय में स्वीकार्य हों। पैनल वकील की सलाह के आधार पर, श्री देबनाथ ने अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए कार्य करने का निर्णय लिया।



सुश्री मनिका दास त्रिपुरा के उनाकोटी त्रिपुरा जिले के पश्चिम कंचन बारी गाँव में रहती हैं। उन्होंने अपने पहली पत्नी से तलाक लेने के बाद अपने पित से शादी की थी और उनका एक बेटा भी है। उनके पित की उनकी पिछली शादी से एक बेटी है और बेटी सुश्री दास और उनके पित के पिरवार का हिस्सा बनना चाहती है, हालाँकि, सुश्री दास इसके पक्ष में नहीं थीं। सुश्री दास वीएलई राजीव दास की पड़ोसी हैं और उन्हें उसके माध्यम से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में पैनल वकील से जानकारी लेने के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

इस मामले के लिए श्री हिमांशु दास को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री दास को बताया कि उनके पित की बेटी उनकी पिछली शादी से तलाक के बाद भी अपने पिता से भरण-पोषण की हकदार है। उन्होंने उन्हें यह भी सलाह दी कि वह मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए और अगर उनके पित की बेटी उनके साथ रहना चाहती है, तो सुश्री दास को उसे स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए और उसे अपनी बेटी की तरह मानना चाहिए तािक वह उनके पिरवार के साथ तालमेल बिठा सके और अच्छा जीवन जी सके। सुश्री दास पैनल वकील की सलाह मान गईं और अपने पिर से बात करने के बाद, उन्होंने उनकी बेटी का अपने पिरवार में स्वागत किया।



श्री रंजीत कुमार साव झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू पश्चिम गाँव में रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी बहन के पित और ससुराल वालों ने दहेज के लिए अगस्त, 2020 में प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी। वह अपनी बहन की मृत्यु के लिए न्याय चाहते थे और वीएलई श्री विकास कुमार के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलने के बाद, उन्होंने कानून के प्रावधानों के बारे में सलाह प्राप्त करने के लिए अपना मामला दर्ज कराया जिनके तहत उन पर आरोप लगाया जा सकता था।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री रिश्म खत्री ने श्री साव को बताया कि उनके बहनोई और उनके परिवार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या), 302 (हत्या के लिए दंड), 498ए (पित या पित के रिश्तेदारों का उसके साथ क्रूरता करना) के तहत गंभीर अपराध किया है। उन्होंने उन्हें आपराधिक वकील से परामर्श करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उचित मंच पर मामला दर्ज कराने की सलाह दी। टेली—लॉ की बदौलत मिस्टर साव को साहस और अपनी बहन को न्याय दिलाने के साधनों पर स्पष्टता मिली।



नंध कृष्णन केरल के वायनाड जिले के मुंडेरी गाँव की रहने वाली नाबालिग हैं। उनकी दादी ने टेली-लॉ योजना के तहत लाभार्थी के रूप में वीएलई सुश्री रेजिना के माध्यम से मामला दर्ज कराया। नंध कृष्णन के पिता का जुलाई, 2020 में निधन हो गया था और उनके पिता की मृत्यु के 2 महीने बाद, उनकी माँ उन्हें अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए ले गईं। उनकी माँ ने 2 महीने बाद दोबारा शादी कर ली और उसे अपने माता-पिता की देखरेख में छोड़ दिया। नंध कृष्णन की दादी उसे अपने साथ रहने के लिए जबरदस्ती उसके नाना-नानी की अभिरक्षा से लेकर चली गईं और इस बीच, नंध कृष्णन की माँ ने बच्चे की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए थाने में शिकायत दर्ज कराई। श्री कृष्णन की दादी जानना चाहती थीं कि नंध कृष्णन की अभिरक्षा प्राप्त करने के लिए वह क्या कदम उठा सकती हैं।

इस मामले में श्री चित्रलाल को पैनल वकील नियुक्त किया गया और उन्होंने नंध कृष्णन की दादी को परिवार न्यायालय अधिनियम की धार्र 7(1) में स्पष्टीकरण (जी) के अनुसार, जहाँ पाल्य रहता है, उससे संबंधित परिवार न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने की सलाह दी। उन्होंने आगे बताया कि अगर माँ ने बच्चे को उसके नाना-नानी के पास छोड़ दिया है, और अगर उसकी अभिरक्षा के बारे में कोई विवाद पैदा होता है, तो मामले के तथ्यों और ''बच्चे के सर्वोत्तम हित के सिद्धांत पर विचार करने के बाद यह न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। इसके लिए न्यायालय को बच्चे के कल्याण और भलाई पर ध्यान केंद्रित करना होता है। कानून न्यायालय से उस व्यक्ति को अभिरक्षा देने की माँग करता है जो बच्चे की जरूरतों को सबसे अच्छी तरह से पूरा कर सकता है।

संपत्ति विवादों का समाधान



सुश्री बोकाली नागालैंड के जुन्हेबोटो जिले के अतोईजू गाँव की रहने वाली हैं। उन्हें अपने पड़ोसी द्वारा अपनी संपत्ति पर लगातार अतिक्रमण के कारण नियमित पीड़ा का सामना करना पड़ता था, जिसके नतीजे में अक्सर काफी टकराव होता था। सुश्री बोकाली टेली-लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज कराती हैं, जिसके बारे में उन्हें वीएलई श्री विटोपु किबा से जानकारी मिली थी।

इस मामले के लिए श्री निक्सुंगला को पैनल वकील नियुक्त किया गया। संविधान के तहत नागालैंड की विशेष स्थित के चलते, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि राज्य कानून के बजाय स्थानीय या प्रथागत कानूनों द्वारा नियंत्रित होती थी। तदनुसार, श्री निक्सुंगला ने सुश्री बोकाली की भूमि की जगह के बारे में पूछा। जब यह बताया गया कि विवादित भूमि गाँव/ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है, तो श्री निक्सुंगला की राय थी कि वह भू–राजस्व अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकती थी, क्योंकि राज्य सरकार के अधिकारी ग्रामीण भूमि से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जब तक कि ग्राम परिषद पहले आदेश/निर्देश नहीं जारी करती है। तदनुसार, श्री निक्सुंगला ने सुश्री बोकाली को पहले ग्राम परिषद से संपर्क करने की सलाह दी और आगे कानूनी उपाय का सहारा लेने से पहले परिषद को उनके अतिक्रमण के मुद्दे को हल करने का प्रयास करने देना चाहिए। सुश्री बोकाली उन्हें दी गई समाधान योजना से संतुष्ट थीं और पैनल वकील की सलाह का पालन करने के लिए सहमत हो गईं।



श्री मौनेश कर्नाटक के रायचूर जिले के हिरेकोटनेकल गाँव के रहने वाले हैं। वह और उनके भाई पुश्तैनी संपत्ति के संयुक्त कब्जाधारी थे जिसे श्री मौनेश के दादा ने खरीदा था और उनके बाद श्री मौनेश के पिता को विरासत में मिली थी। संपत्ति का खाता उनके पिता के नाम पर था और उनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर बना रहा। हालाँकि श्री मौनेश संपत्ति का अपना न्यायसंगत हिस्सा चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने संपत्ति विभाजित कर श्री मौनेश को उनका न्यायसंगत हिस्सा देने से इनकार कर दिया। स्वयं वीएलई होने के नाते श्री मौनेश ने कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए टेली-लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज कराने का निर्णय लिया।

श्री पुरुषोत्तम ए को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया। श्री पुरुषोत्तम ए ने उन्हें संपत्ति पर अपने पूर्वजों का स्वत्वाधिकार स्पष्ट करने के लिए संपत्ति के स्वत्वाधिकार विलेख, साथ ही खाता प्राप्त करने की सलाह दी। इसके अलावा, उन्हें आवश्यक सर्वेक्षण दस्तावेज प्राप्त करने की भी सलाह दी गई। श्री मौनेश को विभाजन प्रक्रिया सरल बनाने के लिए वंशावली वृक्ष तैयार करने और उसके बाद उपर्युक्त सभी दस्तावेजों के साथ किसी वकील से मिलने की भी सलाह दी गई। उक्त दस्तावेजों की सहायता से वकील द्वारा श्री मौनेश की ओर से विभाजन का मुकदमा दायर किया जाएगा ताकि वह अपनी पुश्तैनी संपत्ति में अपना न्यायसंगत हिस्सा प्राप्त कर सकें। संबंधित न्यायालय के समक्ष संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और साबित कर दिए जाने के बाद, विभाजन का मुकदमा सफल हो सकता है। इस सलाह के आधार पर, श्री मौनेश ने अपनी पुश्तैनी संपत्ति में अपना न्यायसंगत हिस्सा पाने के लिए की जाने वाली आवश्यक कार्रवाई पर स्पष्टता प्राप्त की।



श्री बाला तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले के रहने वाले हैं। उनके पिता के छह भाई-बहन थे, जिनमें से तीन महिलाएँ थीं। उनकी तीनों बुवा लोगों की शादी हो चुकी थी और वे अपने-अपने परिवारों में बस गई थी। चूँकि उनकी पुरतैनी संपित को कानूनी वारिसों के बीच विभाजित किया जाना बाकी था, श्री बाला अपनी पुरतैनी संपित में अपनी बुवा लोगों के संपित अधिकारों और इस तरह के अधिकारों पर उनकी शादी के प्रभाव के बारे में जानने लिए उत्सुक थे। श्री बाला को पीएलवी सुश्री जेस्सी के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने कानूनी परामर्श प्राप्त करने का निर्णय लिया। इस मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री बालाकुमार ने श्री बाला को बताया कि कानून के अनुसार, पुरतैनी/पारिवारिक संपित में पुरुष उत्तराधिकारी जितना ही महिला उत्तराधिकारी का भी हिस्सा होता है। शादी के बाद भी उनकी स्थिति नहीं बदलती है। इसलिए, महिला शादी के बाद पुरतैनी/पारिवारिक संपित में अपना हिस्सा पाने की हकदार थी। अगर पुरतैनी संपित के विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया जाएगा, तो कानून के अनुसार, उक्त संपित को सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। टेली-लॉ की बदौलत श्री बाला महिलाओं के संपित अधिकारों के बारे में अवगत हो गए।



सुश्री सुनीता बारिक उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के ढेंकनाल सदर गाँव की रहने वाली हैं। उन्होंने उस जमीन पर घर का निर्माण करवाना शुरू किया, जिसके बारे में उन्हें विश्वास था कि वह उनकी है। हालांकि, उनके देवर ने उन्हें ठगों से डराने—धमकाने का प्रयास किया और निर्माण कार्य रूकवा दिया क्योंकि उसका दावा था कि जिस जमीन पर वह घर बना रही थी, वह उसकी है। उनके देवर ने उनके खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (उपद्रव या संभावित खतरे के तत्काल मामलों में आदेश जारी करने की शिक्त) और 145 (प्रक्रिया जहाँ भूमि या पानी से संबंधित विवाद से शांति भंग होने की संभावना है) के तहत मामला दर्ज करा दिया। इसलिए, वह भूमि पर निर्माण जारी रखने में असमर्थ हो गईं। सुश्री बारिक को वीएलई श्री सुरेश चंद्र प्रधान के माध्यम से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने अपना मामला दर्ज कराकर कानुनी सलाह लेने का फैसला किया।

श्री अमित कुमार को उनका पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने उन्हें बताया कि अगर उनके खिलाफ न्यायालय में मामला दर्ज कराया गया है, तो उन्हें पहले निर्धारित तारीख पर उक्त न्यायालय के सामने पेश होना चाहिए और जमीन पर, अपना स्वामित्व साबित करने वाले सभी आवश्यक दस्तावेजों जैसे बिक्री विलेख, भूमि पट्टा/अधिकारों का रिकॉर्ड पेश करना चाहिए। उन्होंने सुश्री बारिक को अपने स्थानीय तहसील कार्यालय के समक्ष सीमांकन का केस दाखिल करने की भी सलाह दी। उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया कि न्यायालय दस्तावेजी सबूतों के आधार पर सूचित निर्णय लेगा और सुश्री बारिक को उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। सुश्री बारिक ने पैनल वकील की सलाह का पालन किया और न्यायालय में प्रासंगिक दस्तावेज पेश किए। न्यायालय के निर्णय का इंतजार है।



सुश्री मीनारानी तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रहती हैं। उनके चाचा (पिता के भाई) का परिवार की पुश्तैनी संपित का कब्जा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद, और उनकी वसीयत के अनुसार, वह पुश्तैनी संपित में अपने पिता के हिस्से की हकदार थीं। उनके चाचा को संपित में उनके पिता का हिस्सा सौंप देना था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय, पूरी संपित पर कब्जा कर लिया। पुश्तैनी संपित में अपने पिता के हिस्से के दायरे और सीमा, या यहाँ तक कि अपने अधिकारों के बारे में अनजान, और अपनी न्यायसंगत विरासत वापस पाने के लिए कानून का सहारा लेने को लेकर असहाय, सुश्री मीनारानी को टेली-लॉ के तहत अपनी स्थित के बारे में कानूनी परामर्श लेने के लिए पीएलवी सुश्री जेस्सी द्वारा सहायता प्रदान की गई।

श्री बाला कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया गया और उन्होंने उन्हें पुश्तैनी संपत्ति के सभी विवरणों के साथ सर्वेक्षक से संपर्क करने की सलाह दी। सर्वेक्षक द्वारा भूमि का मापन कर मापन के आधार पर, भूमि को तदनुसार विभाजित किया जा सकता था। तब सुश्री मीनारानी को पुश्तैनी संपत्ति में अपने पिता का हिस्सा मिल जाता। श्री बाला कुमार ने उन्हें पुश्तैनी संपत्ति में अपने पिता का हिस्सा पाने के लिए संबंधित न्यायालय में संपत्ति विभाजन का मुकदमा दायर करने की भी सलाह दी। सुश्री मीनारानी को अपनी समस्या के समाधान के बारे में सुनकर राहत मिली और वह दी गई सलाह से खुश थीं।



श्री मोहम्मद इकबाल अहमद कर्नाटक के यादगीर जिले के रंगमपेट गाँव में रहते हैं और तालुक के मुखिया हैं। वह अक्सर स्थानीय सीएससी पर जाते हैं और ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान, उन्हें वीएलई श्री महबूब पाशा के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलता है। जन-उत्साही व्यक्ति होने के नाते, श्री अहमद ने एक ग्रामीण की सहायता करने का फैसला किया, जिसे वह जानते थे।

विचाराधीन ग्रामीण का उत्तराधिकार को लेकर एक सवाल था। उसके पिता ने दो बार शादी की थी, और पहली पत्नी से एक बेटा और दूसरी पत्नी से दो बेटे और तीन बेटियाँ थीं। ग्रामीण खुद भी दूसरी पत्नी से पैदा हुआ था। उनके पिता और दोनों पत्नियों का निधन हो गया था और अब, पहली पत्नी का बेटा यह दावा करते हुए अपने लिए संपत्ति में 50% हिस्सा माँग रहा था, कि दूसरी पत्नी से सभी बच्चे शेष 50% आपस में बांट लें।

इस मामले में श्री पुरुषोत्तम ए को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री अहमद को बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के अनुसार, स्व-अर्जित संपत्ति और पुश्तैनी संपत्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। कानून के अनुसार, अगर दोनों पिलयाँ जीवित होतीं, तो संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता। एक हिस्सा दोनों पिलयों में बांटा जाता। शेष तीन हिस्सों में से एक हिस्सा तीनों पुत्रियों में समान रूप से बाँटा जाता। शेष दो हिस्सों को बेटों के बीच समान रूप से वितरित किया जाता। बच्चों के बीच हिस्सों का यह समान वितरण इस तथ्य के चलते होता कि कानून यह भेद नहीं करता था कि बच्चा किस पत्नी का है। अगर दोनों पिलयों का निधन हो गया था, तो संपत्ति को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाएगा और बच्चों के बीच बांटा जाएगा, जैसा कि उपरोक्त मामले में हुआ था। इसलिए, 3 हिस्सों में, कुल में से 1 हिस्सा बेटियों के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा और 2 हिस्सा बेटों के बीच समान रूप से बांटा जाएगा। यहाँ भी, हिस्सा सभी बेटों और बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा, चोहे बच्चा किसी भी पत्नी का हो। अगर पहली पत्नी का बेटा कानून के अनुसार हिस्सों के विभाजन का पालन नहीं कर रहा था, तो ग्रामीण को संबंधित न्यायालय में विभाजन का मुकदमा दायर करना चाहिए, जो कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारा करेगा।



सुश्री संजीता देहुरी उड़ीसा के कंधमाल जिले के तेरागुडा गाँव की रहने वाली हैं। उनके पिता के तीन भाई हैं। उन्हें पता चलता है कि भूमि अभिलेखों के अनुसार कुछ संपत्ति उनके दादा के नाम पर मौजूद थी। अपने पिता और उनके भाइयों के नाम पर संपत्ति का विभाजन और हस्तांतरण कैसे करना है, यह समझने की इच्छा रखते हुए, सुश्री देहुरी ने टेली-लॉ मंच पर कानूनी परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया, जिसके बारे में उन्हें वीएलई श्री प्रदीप कुमार प्रधान से पता चला था।

श्री अमित कुमार बारिक को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री देहुरी को स्थानीय तहसील कार्यालय में आपसी बंटवारे का मामला दर्ज कराने की सलाह दी। विभाजन के लिए अपने मामले को सही ठहराने के लिए, सुश्री देहुरी को दो महत्वपूर्ण दस्तावेजों की ज़रूरत होगी: उनके दादा का मृत्यु प्रमाण पत्र, और उसके बाद, उनके पिता को उनके दादा के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में प्रमाणित करने वाला प्रमाण पत्र। इन दोनों दस्तावेजों को निकटतम सीएससी में प्राप्त किया जा सकता था। सुश्री देहुरी इन दस्तावेजों को प्राप्त कर लेने के बाद आपसी विभाजन के लिए मामला दाखिल कर सकती थी, और प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर, संपत्ति उनके पिता और चाचाओं के बीच समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी।



सुश्री सुचित्रा विश्वास पश्चिम बंगाल में निदया जिले के हिरिपुर गाँव की रहने वाली हैं। सुश्री बिस्वास 1993 से खास भूमि (पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के खास कब्जे में भूमि) पर रह रही थीं, जिसे उन्होंने स्थानीय सिमित से खरीदा था, जिसका उस पर कब्जा था। हालाँकि, वह संपित को पंजीकृत नहीं करा पाईं थी क्योंकि ऐसी संपित को कानून के अनुसार ए.डी.एस.आर (अतिरिक्त जिला उप पंजीयक अर्थात स्थानीय भूमि रिजस्ट्री कार्यालय) के माध्यम से पंजीकृत नहीं कराया जा सकता था। उनका मानना था कि उनके पड़ोसी ने अवैध रूप से उक्त भूमि का पट्टा (कृषि गितविधियों के लिए सरकारी स्वामित्व वाली भूमि का कब्जा) प्राप्त कर लिया था, और अब वह उन्हें जमीन खाली करने के लिए मजबूर कर रहा था। सुश्री बिस्वास को वीएलई श्री बिकाश हलदर के माध्यम से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चलता है और अपनी समस्या के समाधान के लिए अपना मामला दर्ज करा देती हैं।

नियुक्त पैनल वकील श्री अमिताभ चक्रवर्ती ने सुश्री बिस्वास को स्थानीय ब्लॉक और भूमि राजस्व कार्यालय (बीएलएलआरओ) जाने और शिकायत की प्रतिलिपि खंड विकास अधिकारी/उप-संभागीय अधिकारी को भेजते हुए उक्त पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। आवश्यक होने पर वह अपने पड़ोसी को दिया गया पट्टा आदेश रह कराने के लिए बीएलएलआरओ या जिला न्यायालय के माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष उक्त पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा भी दायर कर सकती हैं। इस तरह के मुकदमे में, उन्हें यह उल्लेख करना होगा कि वह 1993 से उस जमीन पर रहती आ रही थीं और कानूनी तौर पर, उन्हें उस जमीन से बाहर नहीं निकाला जा सकता था क्योंकि वह 12 साल से अधिक समय से उस जमीन पर काबिज थीं। सुश्री बिस्वास उन्हें दी गई सलाह के लिए आभारी थीं, और उन्होंने पैनल वकील की सलाह पर ध्यान दिया। मामला फिलहाल विचाराधीन है।



श्री शुभनेश उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के राजमऊ गाँव में रहते हैं। संपत्ति संबंधी विवाद को लेकर उनके पिता के खिलाफ झूठा आपरिधक मामला दर्ज का दिया गया था। उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया था और सत्र न्यायालय ने जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। असहाय और कानूनी सहारा लेने के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ महसूस होकर, श्री सुभनेश ने वीएलई श्री विशाल कुमार सैनी और पीएलवी सुश्री पूनम शर्मा द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से टेली—लॉ योजना के बारे में पता लगाया। श्री सुभनेश ने इस मामले में कानूनी सलाह प्राप्त करने के लिए अपना मामला टेली—लॉ प्लेटफॉर्म पर दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में श्री नारायण मुखर्जी को पैनल वकील नियुक्त किया गया और उन्होंने श्री सुभनेश को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने के लिए पहले आपराधिक वकील नियुक्त करने की सलाह दी। उच्च न्यायालय के समक्ष अंतरिम जमानत याचिका दायर की गई, जो कोविड-19 महामारी के कारण और जेलों में भीड़भाड़ से बचने के लिए दे दी गई। बाद में माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम जमानत भी दे दी गई और श्री सुभनेश के पिता अब जमानत पर बाहर हैं।



श्री रंजीत कुमार साव झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू पश्चिम गाँव में रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी बहन के पित और ससुराल वालों ने दहेज के लिए अगस्त, 2020 में प्रताड़ित कर उसकी हत्या कर दी। वह अपनी बहन की मृत्यु के लिए न्याय चाहते थे और वीएलई श्री विकास कुमार के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चलने के बाद, उन्होंने कानून के प्रावधानों के बारे में सलाह प्राप्त करने के लिए अपना मामला दर्ज कराया जिनके तहत उन पर आरोप लगाया जा सकता था।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री रिश्म खत्री ने श्री साव को बताया कि उनके बहनोई और उनके परिवार ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304बी (दहेज हत्या), 302 (हत्या के लिए दंड), 498ए (पित या पित के रिश्तेदारों का उसके साथ क्रूरता करना) के तहत गंभीर अपराध किया है। उन्होंने उन्हें आपराधिक वकील से परामर्श करने और उपरोक्त प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ उचित मंच पर मामला दर्ज कराने की सलाह दी। टेली—लॉ की बदौलत मिस्टर साव को साहस और अपनी बहन को न्याय दिलाने के साधनों पर स्पष्टता मिली।




श्री सिम्पिलिसियो पास्कोल कैसियानो फर्नांडीस उत्तरी गोवा के रहने वाले हैं। वह अपनी पत्नी के साथ, जो तीन बेटियों में सबसे बड़ी थी, अपनी पत्नी की माँ के तीनमंजिला मकान की पहली मंजिल पर रहते थे, जबिक उनकी पत्नी की सबसे छोटी बहन उसी घर के भूतल पर रहती थी। उनकी पत्नी की माँ का निधन होने के बाद, श्री फर्नांडीस और उनकी पत्नी को उनकी पंजीकृत वसीयत के बारे में पता चला, जिसमें उन्होंने घर की पहली मंजिल अपनी सबसे बड़ी बेटी (श्री फर्नांडीस की पत्नी) को वसीयत कर दी थी और भूतल अपनी सबसे छोटी बेटी वसीयत में दे दी थी। इस वसीयत के साथ यह शर्त रखी गई थी कि प्रत्येक बेटी तीसरी बेटी को 2 लाख रुपये देगी।

वसीयत क्रियान्वित करने में पैदा हुई एकमात्र जिटलता यह थी कि जिस घर में श्री फर्नांडीस और उनकी पत्नी पहले से ही सबसे छोटी बहन के साथ रह रहे थे, उसके संभी संपित दस्तावेजों में कर उद्देश्यों से विशेष रूप से उनकी पत्नी का नाम था। संपित के दस्तावेजों में कहीं भी सबसे छोटी बहन का नाम नहीं था। वसीयत के अनुसार, उक्त घर का भूतल अब उनकी पत्नी की सबस छोटी बहन को दे दिया गया था और इस तरह का बदलाव दर्शाने के लिए संपित कार्ड की ज़रूरत थी। श्री फर्नांडीस पिरवार में शांति बना रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए उत्सुक थे कि उनकी पत्नी को किसी जिटलता के बिना वसीयत अनुसार उसका हिस्सा मिले। चूँकि वह कानून विशेषज्ञ नहीं थे, इसलिए वह वसीयत निष्पादित करने और संपित के दस्तावेजों में सबसे छोटी बेटी का नाम जोड़ने की कानूनी प्रक्रिया जानना चाहता थे। उन्हें वीएलई श्री प्रमोद घनश्याम देवीदास से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चलता है और वह कानूनी परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करा देते हैं। इस मामले में श्री संतोष बी. पाटिल को पैनल वकील नियुक्त किया जाता है। वह श्री फर्नांडीस को जिला न्यापयालय के समक्ष मृतलेख प्रमाण की कार्यवाही दायर करके (वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वसीयत को आधिकारिक तौर पर साबित किया जाता है) पंजीकृत वसीयत को निष्पादित करवाने (अर्थात वसीयत को कानूनी रूप से वैध बनाने) की सलाह देते हैं। उनकी पत्नी की माँ के घर का कब्जा उनकी पत्नी और उनकी सबसे छोटी बहन के बीच पहले से ही बंटा हुआ था, और श्री फर्नांडीस ने वकील को बताया कि उन्होंने बीच वाली बहन को वसीयत में निर्धारित धन का उसका निर्देष्ट हिस्सा पहले ही दे दिया है।

पैनल वकील ने उन्हें मूल वसीयत के साथ प्रासंगिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो भी संलग्न करने की सलाह दी। आगे यह भी स्पष्ट किया कि बार वसीयत न्यायालय द्वारा परिवीक्षित और निष्पादित होने के बाद घर के संपत्ति दस्तावेजों में सबसे छोटी बेटी का नाम जोड़ने के लिए संबंधित प्राधिकारी को आवेदन किया जा सकता है। श्री फर्नांडीस जटिल कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायता करने के लिए टेली-लॉ के आभारी थे।

अन्याय से लड़ना





श्री गोहिल राजूभाई देवभाई गुजरात के दाहोद जिले के रहने वाले हैं। 50 अन्य लोगों के साथ उनसे अपनी सेवाओं के भुगतान के बदले में मारुति नंदन नामक संगठन द्वारा गारंटीशुदा नौकरी का वादा किया गया था। इस प्रस्ताव को पहचानने में असमर्थ, प्रत्येक व्यक्ति ने मारुति नंदन को 5500-6500 रुपये के बीच भुगतान किया। हालांकि, जब कोई वास्तविक नौकरी का अवसर नहीं प्रदान किया गया और संगठन ने पैसे वापस करने से भी इनकार कर दिया, तो श्री देवभाई ने कानूनी सलाह और सहायता के लिए वीएलई श्री महेंद्र भाभोर से संपर्क किया। श्री देवाभाई ने अपना मामला दर्ज करवाया और इस मामले में आगे बढ़ने के बारे में जानकारी माँगी।

नियुक्त पैनल वकील श्री रुशिक जोशी ने श्री देवाभाई को बताया कि यह धोखाधड़ी का स्पष्ट मामला है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (जिसे लोकप्रिय रूप से 'चारसो बीसी' के नाम से जाना जाता है) के तहत आता है। श्री जोशी ने श्री देवभाई को सलाह दी कि वे संगठन के बारे में प्रासंगिक जानकारी और संचार और टेलीफोन नंबर एकत्र करें जिसके माध्यम से संगठन ने उनसे या अन्य लोगों से संपर्क किया था। इस एकत्रित जानकारी के आधार पर और इसी तरह फर्जी नौकरी घोटाले द्वारा ठगे गए अन्य लोगों की सहायता माँगने के बाद, पैनल वकील ने श्री देवभाई से निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के लिए कहा। श्री देवभाई टेली—लॉ के तहत प्राप्त पैनल वकील की सलाह के लिए आभारी थे और उन लोगों के साथ मिलकर सामूहिक शिकायत दर्ज कराने के लिए सहमत हुए जो उनकी सहातया करने के इच्छुक थे।



तब्लीगी जमात संप्रदाय के अनुयायी मुस्लिम जनाब? नेसार अहमद सिद्दीकी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की बचेली बस्ती में रहते हैं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (एनएमडीसी) द्वारा निर्मित इस टाउनिशप में लगभग 20,000 लोग रहते हैं, जिनमें से 40-50 लोग देवबंद शरीयत के अनुयायी एक ही मुस्लिम समुदाय के हैं जबिक 300-400 लोग सृत्री मुसलमान हैं जो हज़रत शरीफ के अनुयायी हैं। एनएमडीसी ने सृत्री मुसलमानों को मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन मुहैया कराई और तब्लीगी जमात संप्रदाय के मुसलमानों को वहां प्रवेश करने और नमाज अदा करने से रोक दिया गया। मस्जिद में प्रवेश करने की कोशिश करने पर जनाब? नेसार को भी पीटा और धमकाया गया। जनाब? नेसार यह मामला वक्फ बोर्ड में ले जाना चाहते थे, लेकिन यह महसूस कर कि बोर्ड के सदस्य मुख्य रूप से खुद सुन्नी मुसलमान हैं और इसलिए, उन्होंने इसके बजाय दीवानी न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश पारित किया कि किसी भी समुदाय के किसी भी व्यक्ति को मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार है और उसे रोका नहीं जा सकता है। हालाँकि, वास्तव में, न्यायालय के आदेश के बावजूद पुरानी प्रथाएँ जारी रहीं और भले ही सुन्नी मुसलमानों ने श्री नेसार और उनके समुदाय को मस्जिद में प्रवेश करने दिया, फिर भी उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जाता था। इस भेदभाव से खफा होकर, जनाब? सिद्दीकी ने कानूनी सलाह और परामर्श के लिए वीएलई श्री रूमा नदीम की सहायता से टेली– लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज कराया।

इस मामले में नियुक्त पैनल वकील सुश्री विद्या रानी केशरवानी ने श्री सिद्दीकी को बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी लोगों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। किसी व्यक्ति के साथ जाति, पंथ, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत का संविधान लोगों को केवल उनकी आवासीय स्थिति के आधार पर उनके धर्म का पालन करने से रोकने की अनुमित नहीं देता है, (अर्थात वे मूल रूप से उस स्थान के हैं या वहाँ बस गए हैं)। जनाब? सिद्दीकी को स्थानीय मस्जिद में प्रवेश करने और वहां नमाज अदा करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आगे बताया कि अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा धर्म, उत्पित्त, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है और अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया है। ये संविधान में निहित मूल अधिकार हैं और कोई भी उल्लंघन कानून द्वारा दंडनीय है और इसलिए, किसी भी व्यक्ति को किसी

भी मस्जिद या मंदिर में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने श्री नेसार को सलाह दी कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोका जा सकता है। उन्होंने नेसार को प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी अगर उन्हें ऐसा करने से किसी व्यक्ति द्वारा रोका जाता है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। अंत में, पैनल वकील ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन न करना न्यायालय की अवमानना के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह एक अपराध है। इसके लिए, श्री नेसार उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं और उन्हें अवमानना की कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छा वकील नियुक्त करना चाहिए। श्री नेसार उन्हें इतनी विस्तृत सलाह देने के लिए टेली–लॉ के आभारी थे और उन्होंने पैनल वकील को आश्वासन दिया कि वह इस पर कार्रवाई करेंगे।



श्री नितिनभाई राठौड़ राजस्थान के दाहोद के रहने वाले हैं। उन्हें उनके मोबाइल फोन पर पाच संदेश (एसएमएस) के माध्यम से विज्ञापन द्वारा कम ब्याज दर पर परेशानी मुक्तं उच्च राशि के व्यक्तिगत ऋण की पेशकश करके प्रलोभित किया गया। इस विज्ञापन से प्रभावित होकर, श्री राठौड़ ने एसएमएस में दिए गए लिंक के माध्यम से एक मोबाइल एप्लिकेशन (ऐप) डाउनलोड कर लिया। ऐप का उपयोग करने के बाद, श्री राठौड़ को ऐसे व्यक्ति के संपर्क में लाया गया जिसने खुद को बजाज फाइनेंस कंपनी के एजेंट के रूप में पेश किया। इस व्यक्ति ने श्री राठौड़ से उनके ऋण आवेदन की सत्यापन प्रक्रिया के लिए अपना विवरण भेजने के लिए कहा। श्री राठौड़ का विश्वास हासिल कर लेने के बाद, उन्हें पहले रू. 3500 और उसके बाद ऋण प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए रु. 4500 का भुगतान करने के लिए राज़ी किया गया। जब 'एजेंट' ने रू. 10000 की तीसरी माँग की तो श्री राठौड़ को संदेह हो गया क्योंकि वह पहले से ही पैसे की निरंतर मांग से असुरक्षित और परेशान महसूस कर रहा थे। वह इस मामले पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए कानूनी सलाह चाहते थे। उन्हें वीएलई श्री पांचाल चिंतनकुमार के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने अपना मामला दर्ज करा दिया।

इस मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री निर्मल कुमार ने श्री राठौड़ को बताया कि वह तत्काल ऋण और धनशोधन की ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। इसलिए उन्होंने श्री राठौड़ को सलाह दी कि वे नजदीकी पुलिस थाने के साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराएँ। उन्होंने श्री राठौड़ को भविष्य में सावधान रहने और अनधिकृत ऋणप्रदाय प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप डाउनलोड करने से बचने और भविष्य में उपयोग करने से पहले सेवा प्रदाता का विवरण सत्यापित करने के लिए भी आगाह किया। श्री राठौड़ को साइबर सुरक्षा का महत्व समझ में आ गया और पैनल वकील की सलाह पर कार्य करने के लिए दृद्धसंकल्प हो गए।



श्री बिदुल सरकार त्रिपुरा के उनाकोटी त्रिपुरा जिले के रामगुना पारा गाँव के रहने वाले हैं। उन्हें एचडीएफसी ईआरजीओ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नियोजित किया गया था और अंततः कई महीनों तक वहाँ काम करने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। कंपनी ने उन्हें उनके अतिंम महीने के वेतन का भुगतान नहीं किया और नोटिस अवधि पूरी होने के बावजूद, उन्हें किसी अन्य संगठन में आवेदन करने के लिए निकासी प्रमाण पत्र से भी इनकार कर दिया। हर अवसर पर तुच्छ आधारों पर श्री सरकार को उनके उचित पारिश्रमिक से वंचित किया गया। इस प्रकार कंपनी की कार्रवाइयाँ उन्हें दो स्तरों पर वितीय नुकसान पहुँचा रही थीं: पहला, उन्हें उनके उचित बकाए से वंचित करना और दूसरा, उन्हें उनका निकासी प्रमाण पत्र जारी न कर कहीं और लाभकारी रोजगार की तलाश करने से रोकना। सीएससी की यात्रा पर उन्हें टेली-लॉ योजना का पता चला और परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कर दिया, जिसमें उन्होंने सलाह मांगी कि कैसे अपना उचित बकाया और निकासी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

इस मामले में श्री कुशल देब को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री सरकार को सलाह दी कि वह अपनी वेतन पर्ची, कार्यग्रहण पत्र, स्वीकृति पत्र, त्याग पत्र और अन्य प्रासंगिक पत्राचार प्रस्तुत कर, कंपनी में अपने रोजगार के प्रमाण के साथ श्रम आयुक्त के समक्ष दावा दायर करें। यह सलाह इस तथ्य पर आधारित थी कि, दुर्भाग्य से, बीमा कंपनी के कर्मचारी की शिकायतों से निपटने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कोई विशिष्ट तंत्र प्रदान नहीं किया गया था। श्री देब ने यह भी सुझाव दिया कि अगर श्रम आयुक्त के समक्ष श्री सरकार के दावे का ३ महीने के भीतर समाधानप नहीं होता है, तो श्री सरकार कंपनी के खिलाफ जिला न्यायालय (श्रम न्यायालय/अपीलीय न्यायाधिकरण होने के नाते) में अपील दायर कर सकते हैं। श्री सरकार ने पैनल वकील की सलाह का पालन करने की अपनी मंशा जताई और इसके बाद तुरंत श्रम निरीक्षक को पत्र लिखा। पैनल वकील मामले पर नजर रख रहे हैं और श्री सरकार से समय–समय पर अपडेट ले रहे हैं।



सुश्री दुर्गा रानी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के नौसर गाँव की पीएलवी हैं। कुछ अज्ञात लोगों ने उनके गाँव में आकर एलईडी बल्ब बांटे और दावा किया कि वे ऐसा उजाला योजना के तहत कर रहे हैं और बदले में ग्रामीणों का आधार कार्ड नंबर और उंगलियों का निशान प्राप्त कर लिया। एक महीने बाद कुछ ग्रामीणों ने पाया कि उनके बैंक खातों से कुछ रिश काट ली गई थी और आगे चर्चा पर उन्होंने पाया कि यह समस्या केवल उन ग्रामीणों के साथ हो रही थी जिन्होंने एलईडी बल्ब प्राप्त किया था और अपनी उंगलियों के निशान के साथ अपना आधार नंबर दिया था। उनकी उंगलियों के निशान का उपयोग करके, जालसाज ग्रामीणों के बैंक खातों से धोखाधड़ी से पैसे निकाल पाए थे, क्योंकि उनके खाते उनके आधार कार्ड नंबर से जुड़े थे। इसने ग्रामीणों और वीएलई श्री महिपाल द्वारा अपने सीएससी में प्रदान की जा रही योजनाओं के बीच अविश्वास पैदा किया क्योंकि इनमें से कुछ के लिए सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उंगलियों के निशान की ज़रूरत होती थी।

पीएलवी और वीएलई ने परामर्श के लिए टेली-लॉ योजना के तहत मामला दर्ज कराने का फैसला किया कि ग्रामीणों का पैसा वापस प्राप्त करने और उनका विश्वास हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस मामले में नियुक्त पैनल वकील सुश्री अदिति भारह्मज ने सुश्री रानी को उन सभी लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करने, जिन्हें ठगा गया था और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की भागचुरी शाखा में सामूहिक अभ्यावेदन करने की सलाह दी, जहाँ से धोखाधड़ी से पैसे निकाले गए थे। सुश्री भारह्मज ने आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सभी पीड़ित जोखिम में पड़े बैंक खातों और उनसे काटी गई राशि के बारे में विवरण के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराएँ। मामले की जाँच करने पर, पैनल वकील ने पाया कि पुलिस ने अपराधियों को पकड़ लिया था, और पैसे की वसूली की प्रक्रिया चल रही थी।



श्री होरी मोहन नाथ असम में धुबुरी जिले के लखीगंज गाँव में रहते हैं। वह सफर करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग किया करते थे। एक मौके पर श्री नाथ बाजार में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर सब्जी खरीदने चले गए, लेकिन लौटने पर उन्होंने पाया कि उनकी मोटरसाइकिल गायब थी। लाख कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। श्री नाथ ने महसूस किया कि उन्हें चोरी गए वाहन पर बीमा राशि का दावा करना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया से अनजान थे। स्वयं वीएलई होने के नाते, श्री नाथ ने टेली—लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराया।

इस मामले में श्री द्विपेन सरमा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री नाथ को निकटतम पुलिस थाने में अपनी चोरी हो गई मोटरसाइकिल के बारे में प्राथमिकी दर्ज करने की सलाह दी। अगर पुलिस कर्मी वाहन का पता नहीं लगा पाएंगे या चोर को नहीं पकड़ पाएगें, तो उन्हें यह रिकॉर्ड करने वाले न्यायालय के समक्ष अपनी अतिंम रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद न्यायालय द्वारा स्थिति को रिकॉर्ड करते हुए आदेश पारित किया जाएगा। पैनल वकील ने श्री नाथ को अवगत कराया कि उन्हें दावा करने के लिए अंतिम रिपोर्ट और न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ बीमा कंपनी में जमा करनी होंगी और अगर दावा इसलिए संसाधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह समय सीमा से अधिक हो गया है जिसके भीतर दावा दाखिल किया जाता था,तो श्री नाथ अपना मामला रखने के लिए लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं। श्री नाथ ने पैनल वकील की सलाह का पालन करते हुए प्राथमिकी दर्ज करा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।



सुश्री रजनी छत्तीसगढ़ के कोरबा के अमलडीहा गाँव में रहती हैं और एक छोटी सी दुकान चलात हैं। वह छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) से 1,02,000/- रुपये का बिजली बिल प्राप्त कर चौंक गई, जो उनकी छोटी सी चाय और आइसक्रीम की दुकान के आकार और परिचालन को देखते हुए, बहुत अधिक था। सीएसपीडीसीएल ने उनका बिजली का कनेक्शन भी काट दिया और उनसे कनेक्शन बहाल करने के लिए तत्काल 15,000/- रुपये देने के लिए कहा। सुश्री रजनी बिजली कनेक्शन बहाल करने और आगे किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए 15,000/- रूपये कर पूरी राशि किश्तों में देने के लिए भी तैयार थीं। हालांकि, वीएलई श्री सैफ अली ने उन्हें टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत परामशें के लिए अपना मामला पंजीकृत कराने की सुझाव दी, क्योंकि उनका मानना था कि पैनल वकील द्वारा उन्हें इस बारे में विस्तृत सलाह दी जाएगी कि भारी-भरकम राशि का भुगतान किए बिना अपना कनेक्शन कैसे बहाल करवाया जा सकता है।

सुश्री सुरेखा वर्मा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सबसे पहले सुश्री रजनी को आश्ववस्त किया कि उनका मामला क्रियात्मक बाधाओं में पड़े बिना सुलझ जाएगा। उन्होंने सुश्री रजनी को समस्या बताते हुए सीएसपीडीसीएल के विष्ठ अधिकारी से शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। अगर इस तरह से उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो सुश्री रजनी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा जिले को सूचित कर सकती हैं और अनुरोध कर सकती हैं कि उनका मामला स्थायी लोक अदालत में भेज दिया जाए। सुश्री रजनी के पास उपभोक्ता फोरम के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराने का विकल्प था। सुश्री रजनी ने पैनल वकील की सलाह पर कार्य करते हुए सीएसपीडीसीएल, कोरबा कार्यालय के सहायक अभियंता के पास अपनी शिकायत दर्ज करा दी। सहायक अभियंता ने मामले का संज्ञान लिया और परिणामस्वरूप सुश्री रजनी का भारी–भरकम बिल माफ कर दिया गया और कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना उनका बिजली का कनेक्शन बहाल कर दिया गया। सुश्री रजनी ने कहा कि टेली–लॉ योजना बेजुबानों की आवाज साबित हो रही है और विस्तृत सलाह के लिए वह पैनल वकील की बहुत आभारी थीं।



श्री नरेश कुमार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के वहांगल गाँव में रहने वाले वीएलई हैं। उनके दोस्त को अवैध रूप से अफीम खरीदने के आरोप में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस), 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। जब्त की गई मात्रा थोड़ी मात्रा से थोड़ा अधिक थी, लेकिन व्यावसायिक मात्रा से कम थी। श्री कुमार उसकी जमानत दिलाने में सहायता करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अनजान थे। इसलिए, श्री कुमार ने कानूनी सलाह के लिए टेली-लॉ योजना के तहत मामला दर्ज कराया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री अदिति भारह्यज ने श्री कुमार को बताया कि उनके दोस्त पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया है वह एनडीपीएस अधिनियम के तहत गैर-जमानती और संज्ञेय प्रकृति का था। सीधे शब्दों में कहें तो सत्र न्यायालय इस बात संतुष्ट होने के बाद ही जमानत देगा कि आरोपी प्रथम दृष्टया अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर बाहर रहते हुए इसी तरह का अपराध नहीं करेगा। पैनल वकील ने श्री कुमार को यह भी बताया कि जमानत की मँजूरी आरोपी के कब्जे में पाए गए प्रतिबंधित पदार्थ, अगर कोई था, की मात्रा पर निर्भर करेगी, और उसके दोस्त को अपने मामले के लिए अच्छा वकील नियुक्त करना चाहिए। जमानत की प्रक्रिया के संबंध में पैनल वकील ने श्री कुमार को सत्र न्यायालय के समक्ष आवेदन दाखिल करने की सलाह दी। अगर जमानत दी जाती है, तो श्री कुमार को न्यायालय द्वारा बताए गए अनुसार बेल बांड और जमानत देनी होगी। उन्होंने आगे बताया कि अगर सत्र न्यायालय उनके भाई की जमानत याचिका खारिज कर दता है, तो ऐसी अस्वीकृति की अपील हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है। श्री कुमार अपने दोस्त की सहायता करने के लिए उन्हों आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए टेली-लॉ के आभारी थे।



श्री जयकुमार तिमलनाडु के रामनाथपुरम जिले के उचिपुली गाँव के रहने वाले हैं। वह 28 सालों से कपड़े की दुकान चला रहे थे और इस प्रक्रिया में, उन्होंने अपने ग्राहकों के बीच शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की थी। उनके एक प्रतिद्वंदी ने श्री जयकुमार की दुकान के नाम का अपनी कपड़े की दुकान के शीर्षक के प्रत्यय के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया, और वह भी उसी इलाके में जिसमें श्री जयकुमार की दुकान थी। फलस्वरूप, ग्राहकों ने उनके प्रतिद्वंद्वी की दुकान पर उसे श्री जयकुमार की दुकान की दूसरी शाखा मानते हुए बार-बार आना शुरू कर दिया। श्री जयकुमार के व्यवसाय को उनके प्रतिद्वंद्वी के अवैध और अनैतिक व्यवहार के कारण भारी वित्तीय नुकसान होने लगा। श्री जयकुमार को पीएलवी श्री कार्तिकेयन आर के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, और उन्होंने कार्रवाई पर कानूनी सलाह लेने के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया जो उनकेने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ की जा सकती थी।

इस मामले में श्री वसंत कुमार को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री जयकुमार को अपनी दुकान के नाम के लिए ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने की सलाह दी। संबंधित प्राधिकारी (इस मामले में, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक का कार्यालय) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद श्री जयकुमार के प्रतिद्वंद्वी को उनकी दुकान के नाम का उपयोग बंद करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। पैनल वकील ने पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय की वेबसाइट पर श्री जयकुमार की दुकान का नाम तक खोजा और पाया कि सौभाग्य से, वह नाम किसी और के द्वारा पंजीकृत नहीं कराया गया था। पैनल वकील ने बाद में श्री जयकुमार की ऑनलाइन ट्रेडमार्क पंजीकरण दाखिल करने में सहायता की। श्री जयकुमार अपने व्यवसाय और अपने अधिकारों की रक्षा करने में सहायता करने के लिए पैनल वकील और टेली-लॉ के आभारी थे।




सुश्री सुमी सैकिया अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले के तेलुलियांग गाँव की रहने वाली हैं। उन्होंने 7000/- रुपये में एक मोबाइल फोन खरीदा था। हालांकि 2 महीने के भीतर, हैंडसेट खराब हो गया और कुछ कनेक्टिविटी समस्या दर्शाने लगा। अपने नए फोन का उपयोग करने में असमर्थ होकर, सुश्री सैकिया फोन ठीक करने या बदलने के लिए उस दुकानदार के पास गई, जिसने उन्हें फोन बेचा था क्योंकि फोन अभी भी वारंटी अवधि के भीतर था, लेकिन दुकानदार ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। पता नहीं होने से कि क्या करना है, उन्होंने पीएलवी सुश्री दीपशिका दास से सहायता मांगी और परामर्श के लिए टेली-लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज करा दिया।

नियुक्त पैनल वकील श्री वाहेंगबम निरंजीत सिंह ने भीरू महिला होने के नाते पैनल वकील से बातचीत करने में सहज महसूस नहीं कर रही सुश्री सैकिया की ओर से सुश्री अनीता को सलाह दी कि सुश्री सैकिया फिर से दुकानदार के पास जाएँ और अगर दुकानदार उनकी बात पर ध्यान नहीं देता है, तो उन्हें मोबाइल हैंडसेट ठीक करने के लिए कंपनी के सेवा केंद्र से संपर्क करना चाहिए क्योंकि उत्पाद वारंटी के भीतर है। उन्हें उनके पास अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी और पावती संख्य प्राप्त करनी होगी, जिससे उन्हें अपने मामले पर नजर रखने में सहायता मिलेगी। उन्होंने आगे सुझाव दिया और अगर दुकानदार या सेवा केंद्र द्वारा मोबाइल फोन की सर्विसिंग/मरम्मत नहीं की जाती/बदला नहीं जाता है, जैसा भी मामला हो, या सुश्री सैकिया को संतोषजनक जवाब देकर समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो वह उपभोक्ता फोरम से संपर्क कर सकती हैं और उनके खिलाफ हर्जाने की माँग कर सकती हैं। सुश्री अनीता ने कहा कि वह सुश्री सैकिया तक यह जानकारी पहुँचा देंगी और सुनिश्चित करेंगी कि वह पैनल वकील द्वारा दी गई सलाह का पालन करते हुए कार्रवाई करें।

कोविड से परेशान लोगों को राहत





महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के लोहारा गाँव के निवासी श्री तौफिक महबूब शेख कई क्षेत्रों में दैनिक किराने की दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करते थे। महाराष्ट्र में कोविड-19 के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद, उन्हें आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी रखने के लिए राज्य के भीतर यात्रा करने की अनुमित देने के लिए ई-पास की ज़रूरत थी। अपना व्यवसाय जारी रखने के लिए बेताब, श्री शेख, जिन्होंने अपने गाँव में सीएससी में काम करने वाले एक दोस्त से टेली-लॉ योजना के बारे में सुना था, ने ई-पास के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए अपना मामला दर्ज कराया।

नियुक्त पैनल वकील श्री संतोष बी. पाटिल ने श्री शेख को बताया कि अगर उनके पास इंटरनेट है, तो वह महाराष्ट्र पुलिस की वेबसाइट के माध्यम से स्वयं ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए, श्री शेख को आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र या पैन कार्ड जैसे पहचान प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होगी। उन्हें पिरिस्थितियों के आधार पर अन्य प्रासंगिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे, जैसे चिकित्सक प्रमाण पत्र (चिकित्सकीय आपात स्थिति के मामले में) या मृत्यु प्रमाण पत्र (अगर वह पिरवार के किसी सदस्य का अंतिम संस्कार करने के लिए अंतरराज्यीय या राज्य के भीतर यात्रा कर रहे हैं)। अपेक्षित दस्तावेजों का स्कैन किया गया संस्करण उक्त वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर श्री शेख के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वह आवश्यक पहचान दस्तावेजों और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों, अगर कोई है, के साथ निकटतम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और भौतिक रूप से ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। पुलिस अधिकारी द्वारा ई-पास के लिए आवेदन करने में उनकी सहायता की जाएगी। पैनल वकील श्री पाटिल द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत स्पष्टीकरण के कारण, श्री शेख अपने ई-पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाए और उनके अनुरोध को अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। श्री शेख ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भी अपना व्यवसाय जारी रखा और टेली-लॉ की सहायता के लिए आभारी थे।



श्री जेनिटर आर मराक, मेघालय के दक्षिण गारो हिल्स जिले के चोकपोट बाजार गाँव में रहने वाले वीएलई हैं। मेघालय राज्य में कोविड-19 पॉजीटिव मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि के कारण राज्य भर में अलग-अलग तीव्रता का लॉकडाउन लगा दिया गया था। श्री मराक ने देखा कि, कोविड-19 को लेकर डर और अज्ञानता के चलते, यह मानते हुए लोग अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं (एफएलडब्ल्यू) को बहिष्कृत कर रहे थे, उनके साथ भेदभाव कर रहे थे और उन्हें कलंकित कर रहे थे कि उनके कारण वायरस फैलेगा। सामाजिक रूप से जागरूक और जिम्मेदार नागरिक के रूप में, श्री मराक एफएलडब्ल्यू की दुर्दशा से द्रवित हो गए, जो केवल नागरिकों की सहायता करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए विशेषज्ञ सलाह की ज़रूरत थी। वीएलई होने के नाते, वह टेली-लॉ के लाभों से अच्छी तरह वाकिफ थे, और इस प्रकार, उन्होंने इस संबंध में परामर्श लेने के लिए अपना मामला दर्ज कराया।

इस मामले में श्री खाकुपर कोंगजोह नियुक्त पैनल वकील थे। उन्होंने श्री मराक के साथ विस्तृत चर्चा की और कोविड –19 महामारी के दौरान एफएलडब्ल्यू के खिलाफ कलंकीकरण के मुद्दे को दूर करने के लिए उनकी चिंता की सराहना की। पैनल वकील ने श्री मराक से एफएलडब्ल्यू के लिए समर्थन दिखाते हुए, इस तरह के कलंकीकरण को मिटाने के लिए जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए गाँव के वीएलई के रूप में अपनी स्थिति और मंच का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे श्री मराक को अपने गाँव के मुखिया के साथ मिलकर इस संबंध में जागरूकता पैदा करने की सलाह दी कि राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोविड–19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए, कैसे वायरस से लड़ना है।

श्री मराक जनता को एफएलडब्ल्यू के प्रति समर्थन, एकजुटता और कृतज्ञता दिखाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते थे जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में रोजाना अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। पैनल वकील, श्री खाकुपर कोंगजोह ने आगे श्री मराक को बताया कि अगर इस तरह का कलंकीकरण जारी रहता है, तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस या जिला प्रशासन को ऐसे मामलों की सूचना दे सकते हैं कि एफएलडब्ल्यू हर समय सुरक्षित हों। पैनल वकील द्वारा गई सलाह का पालन करते हुए, श्री मराक ने इस संबंध में पड़ोसी गांवों में रहने वाले लोगों सिहत अपने साथी नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के माध्यम के रूप में अपने सीएससी का उपयोग करने के लिए पहल की कि कैसे कोविड-19 महामारी से निपटना और एफएलडब्ल्यू का समर्थन करना है। श्री मराक ने जिला प्रशासन के अधीन अपने गाँव के मुखिया

की देखरेख में अपने गाँव के कोविड-19 कार्यबल में भाग लेने के अपने इरादे की भी घोषणा की।



श्री असिकुल शेख झारखंड के पाकुड़ गाँव में पलसा गाँव के मेहनती और कर्मठी छात्र हैं। वह झारखंड सिहत देश भर में कोविड-19 के मामलों में अचानक वृद्धि के चलते लगाए गए राज्यव्यापी लाकडाऊन के कारण अपनी पढ़ाई और भविष्य प्रभावित होने को लेकर चिंतित थे। श्री शेख ने वीएलई श्री मेहदी हसन द्वारा टेलीफोन और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चलाए गए जागरूकता अभियानों के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में जाना और आगे की राह निर्धारित करने के लिए परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराया।

इस मामले में नियुक्त पैनल वकील श्री लाल अजंय नाथ सहदेव ने श्री शेख को ऑनलाइन साधनों और वेबसाइटों का उपयोग करके अपनी पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी, क्योंकि निकट भविष्य में शायद ही कभी भौतिक कक्षाएँ शुरू होंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि श्री शेख वेबसाइट और ऐप सिहत ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें जिनमें दृश्य-श्रव्य अनुदेश और रीयल-टाइम ऑनलाइन इंटरैक्शन शामिल है। पैनल वकील ने श्री शेख को सकारात्मक दृष्टिकोण रखने और मौजूदा कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की दिशा में कड़ी मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। पैनल वकील की सलाह से उत्साहित होकर, श्री शेख ने सुझाए गए ई- संसाधनों को देखने की सहमित व्यक्त की, जो उनकी पढ़ाई में सहायता करते।



सुश्री मंजुरा बेगम असम के गोलपाड़ा जिले के अंबारी पार्ट 3 गाँव में रहती हैं। कोविड-19 वायरस और अपने प्रियजनों पर इसके संभावित प्रभाव को लेकर चिंतित, सुश्री बेगम इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी कि कैसे अपने आपको और अपने परिवार को वायरस से संक्रमित होने से बचाया जाए और टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया जाए। अपने गाँव में सीएससी के बाहर एक बैनर के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में जानने के बाद, उन्होंने परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराया क्योंकि उन्हों विश्वास था कि उन्हों टेली-लॉ के माध्यम से सत्यापित और अद्यतन जानकारी प्राप्त होगी।

इस मामले में श्री द्विपेन शर्मा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री बेगम को सलाह दी कि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका सभी निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करना है, जैसे घर पर रहना, बार-बार हाथ धोना, मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करना और सभी सार्वजनिक समारोहों से बचना। पैनल वकील ने सुश्री बेगम को परीक्षण करवाने का महत्व भी समझाया कि अगर वह या उनके परिवार में किसी में भी वायरस के लक्षण विकसित होते हैं। टीकाकरण के संबंध में, पैनल वकील ने सुश्री बेगम को बताया कि वह टीकाकरण के लिए सीएससी के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकती हैं और अपनी बारी आने पर उन्हें टीका लगवाना चाहिए। सुश्री बेगम सटीक जानकारी प्रदान करके अपने दिमाग को शांत करने के लिए टेली-लॉ की आभारी थीं।



सुश्री काजुमोनी बोरा असम के जोरहाट जिले के चिरगाँव गाँव की रहने वाली हैं। उनका 18 महीने का बच्चा है जिसे वह स्तनपान कराती हैं। अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने शिशु की सुरक्षा को लेकर चिंतित सुश्री बोरा कोविड-19 वैक्सीन लगवाना चाहती थी। अपनी जाँच-पड़ताल के दौरान, उन्हें स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए टीके की सुरक्षा को लेकर कई तरह की जानकारी मिली, लेकिन विरोधाभासी सूचनाओं और सूचनाओं की भारी मात्रा के चलते, वह इस बारे में पक्का नहीं कर पा रही थी कि किन स्रोतों पर भरोसा किया जाए। अपने गाँव के सीएससी के बाहर टेली-लॉ का बैनर देखकर उन्होंने उपलब्ध टीकों की सुरक्षा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श करने के लिए अपना मामला दर्ज करने का फैसला किया।

नियुक्त पैनल वकील श्री द्विपेन शर्मा ने सुश्री बोरा को बताया कि यद्यपि उपलब्ध टीकों को सभी के लिए, यहाँ तक कि स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी, सुरक्षित बनाया गया है फिर भी उन्हें सचित निर्णय लेने के लिए डॉक्टर से परामर्श कर उचित चिकित्सीय सलाह लेनी चाहिए। पैनल वकील ने पेशेवर सलाह प्राप्त करने के उनके प्रयास की और विशेष रूप से अपनी और अपने बच्चे की सुरक्षा के संबंध में अफवाहों और विभिन्न मंचों पर चल रही झूठी सूचनाओं पर संदेह करने के लिए उनकी सराहना की। सुश्री बोरा ने पैनल वकील की सलाह अनुसार पेशेवर चिकित्सीय राय प्राप्त करने के लिए डॉक्टर से सलाह ली कि क्या उन्हें टीका लगवाना चाहिए या नहीं। अपने डॉक्टर से स्वीकृति मिलने के बाद, सुश्री बोरा आगे बढ़ीं और उन्होंने टीका लगवाया।



श्री गोपी शर्मा सिक्किम के वेस्ट जिले के चाकुंग गाँव के रहने वाले हैं। वह अपने व्यक्तिगत ज्ञान के लिए जानकारी प्राप्त करना चाहता थे कि क्या विदेश से भारत आने वाले व्यक्ति के लिए टीका लगवाना अनिवार्य है या नहीं। उन्होंने अपने रिश्तेदार श्री रोशन कुमार शर्मा के माध्यम से टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में सुना, जो वीएलई भी हैं, और सत्यापित जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।


पैनल वकील श्री द्विपेन शर्मा ने श्री गोपी शर्मा को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर पहले से भी अधिक विनाशकारी और घातक रही थी। इसलिए, सभी प्रोटोकॉलों का पालन करना और सुरक्षित रहने के लिए सभी सावधानियाँ बरतना समय की माँग है। इसके बाद श्री शर्मा ने श्री गोपी शर्मा को बताया कि विदेश से भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्वारांटाइन होना आवश्यक है। हालांकि सरकार ने यह अनिवार्य नहीं किया है कि भारत आने वाले लोगों को पहले टीका लगाया जाए, लेकिन उनकी अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना निश्चित रूप से उचित है। श्री शर्मा ने पैनल वकील की स्पष्टवादिता की सराहना की और प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट थे।



श्री सचिन कुमार गुप्ता झारखंड के हजारीबाग जिले के छटीबरियातू गाँव के रहने वाले हैं। उनकी जल्द ही शादी होने वाली थी और उन्हें शादी के लिए आवश्यक निमंत्रण भेजना था। कोविड-19 के चलते प्रतिबंधों के कारण, श्री गुप्ता यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें कानून का उल्लंघन न करने वाला पाया जाए, विवाह समारोह में अधिकतम संख्या में लोंगों शामिल करने के बारे में जानकारी की ज़रूरत थी। स्वयं वीएलई होने के नाते, श्री गुप्ता ने सत्यापित जानकारी के लिए टेली-लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

इस मामले में श्री आशीष कुमार वर्मा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री गुप्ता को बताया कि राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड—19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान निर्देश जारी किया था जिसमें विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को शामिल होने की अनुमित दी गई थी, वह भी इस शर्त के साथ कि विवाह केवल घर पर या न्यायालय में ही किया जा सकता है। विषाणु का प्रसार नियंत्रित करने के लिए, किसी भी कीमत पर उपस्थित लोगों द्वारा सामाजिक दूरी मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। श्री वर्मा ने श्री गुप्ता को आगे बताया कि विवाह समारोह में 50 आमंत्रितों की भागीदारी के लिए उन्हें जिला अधिकारियों से अग्रिम में अनुमित लेनी होगी। श्री गुप्ता ने पैनल वकील, श्री वर्मा को आश्ववस्त किया कि वह दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे और सभी कोविड—19 प्रोटोकॉलों का पालन किया जाएगा।

प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करना





श्री बलराम कुमार बिहार के कटिहार जिले के जनकपुर गाँव के रहने वाले किसान हैं। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) (बैंकों द्वारा दी जाने वाली वह क्रेडिट सहायता योजना, जिसका उद्देश्य किसानों को फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकओं को पूरा करना है) के बारे में सुना था, और इसके प्रावधानों, साथ ही साथ इस योजना के लिए कैसे आवेदन करना है, इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। उन्हें वीएलई श्री संजय कुमार केवट से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, और उन्होंने सत्यापित जानकारी प्राप्त करने के लिए परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री गुड़िया निशा ने श्री कुमार को बताया कि केसीसी अत्यंत लाभकारी योजना है जो लघु और सीमांत किसानों को कृषि उद्देशों के लिए ऋण लेने की अनुमित देता है। उन्होंने श्री कुमार को बताया कि उन्हें ऋण के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होगी जिनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पैन कार्ड, पते का प्रमाण जैसे पहचान प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व अभिलेख, उगाई गई फसल के रिकॉर्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो, मौजूदा ऋण का विवरण और चुकौती का ब्योग शामिल हैं। उन्होंने श्री कुमार को उपर्युक्त सभी दस्तावेजों और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अपने क्षेत्र के ग्रामीण बैंक जाने और ब्योरों पर चर्चा करने के लिए शाखा प्रबंधक से मिलने की सलाह दी। उनके दस्तावेजों का सत्यापन हो जाने और विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, उन्हें ऋण दिया जा सकता था। श्री कुमार केसीसी के बारे में और अधिक जानकर खुश थे, और उन्होंने पैनल वकील की सलाह के अनुरूप इस योजना के लिए आवेदन करने का अपना इरादा जताया।



सृश्री खुशी उत्तराखंड के उधमिसंह नगर जिले के महतोश गाँव की रहने वाली छात्रा हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीब परिवारों की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गौरा देवी कन्या धन योजना चलाई थी और सृश्री खुशी ने लगभग दो साल पहले इसके लिए आवेदन किया था। उसे विज्ञान स्नातक कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए वित्तीय सहायता की सख्त जरूरत थी और वह इस योजना से किसी तरह की सहायता की उम्मीद कर रही थी। हालाँकि, उन्हें इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता नहीं मिली। इस स्थिति से निराश होकर, अपने आवेदन की स्थिति के बारे में अनिश्चित होने पर, सृश्री खुशी ने पीएलवी सृश्री ज्योति मंडल के माध्यम से टेली–लॉ योजना के बारे में सुना। सृश्री खुशी ने टेली–लॉ योजना के तहत परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकती हैं।

श्री विजय कुमार पांडे को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री खुशी अपने जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी से मिलने और अधिकारी से उनके आवेदन की स्थिति के बारे में पूछने की सलाह दी। सुश्री ख़ुशी ने उनकी सलाह के अनुसार काम करते हुए अपने जिले के बाल विकास परियोजना अधिकारी से संपर्क किया, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका आवेदन कोविड महामारी और परिणामी लॉकडाउन के कारण लंबित है। पैनल वकील द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, हालांकि सुश्री खुशी को अभी भी महामारी के कारण उन्हें देय वितीय सहायता नहीं मिली थी, फिर भी उन्हें राहत मिली थी कि अब कम से कम वह अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानती हैं।



श्री जहूर अहमद जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले के अरचंदर हमा गाँव के रहने वाले हैं। उनका जम्मू और कश्मीर बैंक की स्थानीय शाखा में बैंक खाता है, जो लगभग 3 वर्षों से उपयोग न किए जाने के कारण निष्क्रिय पड़ा था। इस खाते से जुड़ा उनका एटीएम कार्ड भी निष्क्रिय हो गया था, क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया गया था। अपने खाता फिर से सिक्रिय कराने और अपनी गाढ़ी कमाई तक पहुँचने के लिए उत्सुक, श्री अहमद बैंक अधिकारियों से हफ्तों तक फोन पर जुझते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने पीएलवी श्री गुलाम मोहिउद्दीन रहतर के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए इस मंच पर अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में सुश्री सुहैला अली को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उसने श्री अहमद को व्यक्तिगत रूप से अपने बैंक जाने और बैंक के अधिकारियों से बात करने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त, उन्हें पता चला कि श्री अहमद ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया पहले ही पूरी कर ली थी और अपना आधार और मोबाइल नंबर अपने बैंक खाते से जोड़ दिया था। इसलिए, पैनल वकील ने श्री अहमद को बैंक जाने पर अपने निष्क्रिय खाते को सिक्रय करने के लिए आवेदन के साथ अपना आधार कार्ड, पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य संबंधित बैंक दस्तावेज अपने साथ ले जाने के लिए कहा। श्री अहमद को अपनी समस्या के संभावित समाधान के बारे में सुनकर राहत मिली और वह इस सलाह के लिए आभारी थे।



श्री नीलांबर चौहान छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के ग्राम कोरमीपाली के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, वह घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता के पात्र थे और उन्होंने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा किया था। दुर्भाग्य से श्री चौहान को काफी समय व्यतीत होने के बावजूद, उन्हें अपने आवेदन की स्थिति के बारे में कोई अद्यतन जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने वीएलई श्री चक्रधर पटेल से टेली–लॉ के बारे में सुनकर अपने आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मंच पर अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में श्री माहेश्वरी टंडन को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री चौहान को बताया कि वह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करके और साइट पर अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति की जाँच कर सकते हैं। श्री टंडन ने श्री चौहान द्वारा योजना के बारे में पूछे गए सभी प्रश्नों का भी जवाब दिया। पैनल वकील की सलाह ने श्री चौहान की यह समझने में सहायता की कि अपने आवेदन की स्थिति, साथ ही योजना का उद्देश्य और लाभों की जाँच कैसे कर सकते हैं जो इससे प्राप्त हो सकते हैं।




सुश्री सोनोका पात्रा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोडाडीह गाँव में रहती हैं। उनके पित आंशिक रूप से लकवाग्रस्त थे और इसिलए काम करने में असमर्थ थे। वह गंभीर वित्तीय समस्याओं का सामना कर रही थी और उन्हें अपने पित के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करवाने की सख्त जरूरत थी तािक वह किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकें। हालांकि, सुश्री पात्रा इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया से अनजान थीं। सीएससी की एक यात्रा के दौरान उन्हें टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और वीएलई सुश्री मृणाल कांति पॉल की सहायता से, उन्होंने उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तरीिक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इस मंच पर अपना मामला दर्ज कराया।

सुश्री रिश्म खतारी को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री पात्रा जिला स्तर पर सरकारी अस्पताल जाने और सभी आवश्यक दस्तावेजों और रिपोर्टों जैसे कि फोटो, पहचानपत्र की प्रति, विकलांगता के प्रमाण, पता प्रमाणपत्र की प्रति, विकलांगता की पृष्टि करने वाली रिपोर्ट आदि के साथ विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन जमा करने की सलाह दी। आवश्यक होने पर जिला अस्पताल भी आवश्यक दस्तावेजों के संबंध में विशिष्ट विवरण प्रदान करेगा। सुश्री पात्रा विकलांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वेबसाइट (swavlambancard.gov.in) पर उपर्युक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ अपलोड करके विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। सुश्री पात्रा विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के संबंध में सहायता प्राप्त करने के लिए आभारी थीं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में हैं।



श्री परषोत्तम चंद हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कुलेठ गाँव में रहते हैं। उनकी विधवा माँ ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की योजना के तहत विधवा महिलाओं हेतु पेंशन का आवेदन किया था और प्राप्त कर रही थीं। अधिकारियों द्वारा कोई चेतावनी या कारण प्रदान किए बिना, उनकी पेंशन अचानक उनके खाते में जमा किया जाना बंद कर दिया गया। श्री चंद अपनी माँ के लिए निरंतर वितीय सहायता सुनिश्चित करना चाहते थे और समस्या का समाधान पाना चाहते थे। उन्होंने वीएलई श्री अजय कुमार से टेली-लॉ के बारे में सुनकर स्थित सुधरवाने के बारे में सलाह लेने के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री अदिति भारद्वाज ने श्री चंद को समाज और कल्याण विभाग से संपर्क करने और उन्हें अपनी शिकायत के बारे में सूचित करने की सलाह दी। उन्होंने उनसे अचानक पेंशन बंद होने का कारण पूछते हुए अपनी माँ की समस्या के बारे में कल्याण अधिकारी से आवेदन करने के लिए कहा। श्री चंद उन्हें आगे की राह के बारे में स्पष्टता और अपनी माँ की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समाधान देने के लिए टेली-लॉ के आभारी थे।



सुश्री मनप्रीत कौर पंजाब के फिरोजपुर जिले के कर्मा गाँव के किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं। फसल खराब होने जाने से उनके परिवार को आय सहायता की जरूरत थी। उन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम–किसान) के तहत आय सहायता और लाभों के बारे में सुना था और इसके बारे में जानकारी चाहते थे। सुश्री कौर ने अपने गाँव में सीएससी में काम करने वाली दोस्त से टेली–लॉ योजना के बारे में सुनकर अपने परिवार की सहायता करने के तरीके पर परामर्श करने के लिए अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में सुश्री अक्ष बसरा को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री कौर को पीएम-किसान योजना के तहत आय सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इसके लिए सुश्री कौर को अपने सही-सही विवरण के साथ मतदाता पहचानपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों और सत्यापन उद्देश्यों के लिए सहायक दस्तावेजों की भी ज़रूरत होगी। उन्हें कृषि भूमि के स्वामित्व के प्रमाण की भी ज़रूरत होगी। पीएम-किसान योजना का लाभ लेने के लिए इन दस्तावेजों को स्थानीय तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। टेली-लॉ की बदौलत सुश्री कौर वह आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई जिसकी उन्हें जरूरत थी और उन्होंने पैनल वकील की सलाह के अनुसार सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा कर दिया।



श्री भुनेश्वर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के पाली गाँव में रहते हैं। वह अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से पैसा निकालना चाहता थे, लेकिन ऐसा करने की प्रक्रिया नहीं जानते थे। उन्हें वीएलई श्री दुर्गेश कुमार के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होंने अपने प्रयास में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

इस मामले में सुश्री विद्या रानी केशरवानी को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री भुनेश्वर को उनके मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में विस्तृत ब्योरा दिया। सुश्री केशरवानी ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) सदस्य ई—सेवा पोर्टल के माध्यम से ईपीएफ से पैसे की निकासी की जा सकती है। सुश्री केशरवानी ने श्री भुनेश्वर को बताया कि सदस्य को पहले ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से यूएएन सिक्रय करना होता है और फिर पैसे निकालने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करना होता है। ईपीएफओ वेबसाइट का कई अन्य सेवाओं के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे पुराने भविष्य निधि (पीएफ) खाते से नए खाते में फंड ट्रांसफर करना, केवाईसी पूरा करना और संपर्क विवरण अद्यतन करना। ऐसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, श्री भुनेश्वर को अपना पीएफ खाता अपने आधार कार्ड से जोड़ना होगा। इसके अलावा उन्हें ईपीएफ डेटा में अपना पैन नंबर भी अपडेट करना होगा। विवरण जमा करते समय, रक्षोपाय के रूप में, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) दिखाई देगा। इस प्रक्रिया का पालन करने के बाद, पीएफ से निकाली गई राशि ईपीएफओ की वेबसाइट पर बताए गए अनुसार 10 दिनों के भीतर श्री कुमार के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। अपने ईपीएफ खाते से पैसे निकालते समय पालन की जाने वाली प्रक्रिया के बारे में इस विस्तृत जानकारी ने श्री कुमार के मन से सभी संदेहों को दूर कर उन्हें प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया।



सुश्री बियोना वहलांग मेघालय के री भोई जिले के उमसॉनोंगखराई गाँव की स्थायी निवासी हैं। वह और उसकी बहन सुश्री शिमती भी खासी अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखती है। सुश्री शिमती को प्यार हो गया और उन्होंने अपनी जनजाति के बाहर के व्यक्ति से शादी करने का फैसला किया, जो नेपाली था। ऐसी दंपतियों के मन में अक्सर यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि उनके बच्चे अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पन्न प्राप्त करने के हकदार होंगे या नहीं। उनके पैदा होने के बाद, सुश्री शिमती अपने बच्चों के लिए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पन्न प्राप्त करना चाहती थीं, लेकिन अपने पित की गैर-आदिवासी की स्थिति के चलते, वह आशंकित थीं कि इस तरह का प्रमाण पन्न प्राप्त कर पाएंगी या नहीं। सुश्री शिमती की बहन सुश्री वहलांग को वीएलई श्री एडमंड पॉल खरीर के माध्यम से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला और उन्होसने अपनी बहन और उसके बच्चों की सहायता करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए उनका मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में सुश्री सिंथिया वरजरी को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने सुश्री वहलांग को बताया कि ऐसी दंपित के बच्चे, जिनमें माता-पिता में से एक आदिवासी और दूसरा गैर- आदिवासी है, तब तक अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के हकदार होते हैं, जब तक कि बच्चे जनजाति के रीति-रिवाजों परिचित होते हैं और उनका पालन करते हैं। उन्होंने सुश्री वहलांग को यह भी बताया कि चूँकि वह और उनकी बहन, सुश्री शिमती, खासी जनजाति से संबंधित हैं, इसलिए सुश्री शिमती को सभी प्रासंगिक दस्तावेज जमा करके पहले आवेदन करना और खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद से खासी जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उसके बाद, उनकी बहन अपने बच्चों के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेगी, और वह भी स्थानीय सीएससी की सहायता से किया जा सकता है। सुश्री बायोना अपनी बहन की समस्या सुलझाने के तरीके के बारे में प्रासंगिक और विस्तृत जानकारी देने के लिए टेली-लॉ की आभारी थीं।



प्रकरण - <u>10</u>

सुश्री आरती बिहार के झांसी जिले के राजपुरा गाँव की रहने वाली हैं। वह गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाली श्रेणी से संबंधित हैं और अपनी विकट वित्तीय स्थिति के कारण, अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करने के लिए जलाऊ लकड़ी, फसलों के अवशेष और गोबर के उपलों का खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए मजबूर थीं। हालाँकि, खाना पकाने के इन तरीकों के साथ अपनी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ थीं। सुश्री आरती अपने परिवार के लिए चूल्हे और गैस (एलपीजी) सिलेंडर के साथ खाना बनाने का सपना देखती थीं, लेकिन अपनी स्थिति के कारण, किसी भी ऐसी सरकारी योजना से अनजान थी जो उनके सपने को साकार करने में सहायता कर सकती थी। जब सुश्री आरती को वीएलई सुश्री रामवती से टेली—लॉ योजना के बारे में पता चला, तो उन्होंने प्रासंगिक सरकारी योजनाओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता से परामर्श के लिए अपना मामला दर्ज करा दिया।

पैनल वकील सुश्री स्वाति ने सुश्री आरती को अपने बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी और अपनी तस्वीर जैसे अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी। सुश्री आरती अपनी नजदीकी गैस एजेंसी पर भी ऐसा कर सकती थीं। उन्हें अपना नाम, संपर्क विवरण, जन धन/बैंक खाता संख्या, आधार कार्ड नंबर इत्यादि जैसे बुनियादी विवरण भरना होता। सुश्री आरती को यह भी याद दिलाया गया कि चूँकि प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन केवल महिला सदस्यों को ही दिया जाता है, अतः परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य इसके लिए आवेदन करने का पात्र नहीं होगा। सुश्री आरती ने पैनल वकील की सलाह को दिल से लिया और व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए आवेदन किया। उनका आवेदन अभी प्रक्रियाधीन है।



श्री महेश कर्नाटक में रायचूर जिले के कानेकल गाँव में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके गाँव की स्थिति दयनीय थी, क्योंकि उसमें पेयजल और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। बुनियादी जीवन स्तर जीने में भी ग्रामीणों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। इस जमीनी स्थिति से अत्यथिक व्यथित होकर, श्री महेश चाहते थे कि सरकार उनके गाँव में ऐसी बुनियादी सुविधाएँ स्थापित करने के लिए धन जारी करे, लेकिन उन्हें इस प्रयास में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय नेता से उनके बार-बार अनुरोधों का कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। जब उनकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई, तो श्री महेश को अपने एक दोस्त से टेली-लॉ योजना के बारे में पता चला, जो पहले इस योजना के तहत परामर्श माँग चुका था। अपने दोस्त से प्रेरित होकर, श्री महेश ने आगे की राह की जानकारी प्राप्त करने के लिए टेली-लॉ मंच पर अपना मामला दर्ज कराने का फैसला किया।

इस मामले में श्री पुरुषोत्तम को पैनल वकील नियुक्त किया गया। उन्होंने श्री महेश को बताया कि कनकल के ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराना ग्राम पंचायत का कर्तव्य है। कर्नाटक ग्राम स्वराज और पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अनुसार, पंचायत ग्रामीणों की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसलिए, श्री महेश को पंचायत विकास अधिकारी (पीडीओ) को आवेदन करना चाहिए तािक वह स्थिति की जाँच कर आवश्यक सुविधाओं पर आवश्यक कार्रवाई कर सकें। श्री महेश ने प्रदान की गई जानकारी की सराहना करते हुए आगे बढ़ने के लिए इस जानकारी का उपयोग करने का मन बनाया।



श्री शम्सुद्दीन संजक नामक एक छोटे से गाँव में रहने वाले छात्र हैं, जो लद्दाख में कारगिल से लगभग 87 किलोमीटर दूर है। गाँव में केवल 400-450 लोग रहते हैं और सीमा के पास होने के कारण, क्षेत्र में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण ग्रामीणों को हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। महामारी के दौरान, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती माँग के कारण समस्या और बदतर हो गई क्योंकि छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए और व्यवसायों को अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ग्रामीणों का दैनिक कार्य बाधित हो रहा था और समस्या के संबंध में किससे संपर्क किया जाए, इस बारे में अनिश्चित होने के कारण, श्री शम्सुद्दीन ने वीएलई श्री गुलजार हुसैन की सहायता से टेली-लॉ योजना के तहत अपना मामला दर्ज करवाकर समाधान खोजने का बीड़ा उठाया।

नियुक्त पैनल वकील सुश्री सुहैला अली ने श्री शम्सुद्दीन को बताया कि वह ग्रामीणों के साथ क्षेत्र में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारणों की पहचान करने के लिए अपने स्थानीय सेवा प्रदाता से संपर्क करें, खासकर क्योंकि सीएससी में अच्छी कनेक्टिविटी थी। उन्होंने उन्हें आवेदन में संबंधित सेवा प्रदाता को दैनिक आधार पर होने वाली समस्याओं के बारे में बताने की सलाह दी तािक वे स्थिति की गंभीरता को समझकर उसका समाधान कर सकें। पैनल वकील ने यह भी सुझाव दिया कि उक्त आवेदन की प्रति क्षेत्र के संबंधित उपायुक्त (डीसी) को भी प्रस्तुत की जा सकती है, क्योंकि यह क्षेत्र उनके प्रशासन के अधीन है तािक वह संबंधित कंपनी को मामला देखने का निर्देश दे सकें और शिकायत का समाधान करने के लिए कोई अन्य उचित कार्रवाई कर सकें। श्री शम्सुद्दीन ने प्रदान की गई सलाह से संतुष्ट होकर तद्नुसार कार्रवाई करने की बात कही।



न्याय विभाग टेली-लॉ सेवा (वंचितों तक पहुंचना) को सरल बनाने के लिए अपने सहयोगियों के समर्थन और सहायता का आभार व्यक्त करता है।





CSC e-Governance Services India Limited

Disclaimer

*गोपनीयता बनाए रखने के लिए लाभार्थियों के नाम बदल दिए गए हैं। प्रकाशित प्रशंसापत सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड द्वारा एकत और सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।

© 2021 Department of Justice. All Rights Reserved